

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 मार्च 2024—फाल्गुन 24, शक 1945

## लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ-4-2-6-03-2023-1-मेडि-सत्रह

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024

मध्यप्रदेश शासन 'राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021' की धारा 68(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

### 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नियम, 2024 हैं।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

### 2. परिभाषाएँ:

1. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- " अधिनियम " का राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021' से अभिप्रेत है।
- " अनुलपत्रक " का इन नियमों के साथ संलग्न अनुलपत्रक से अभिप्रेत है।
- " फॉर्म " का इन नियमों से साथ संलग्न फॉर्म से अभिप्रेत है।
- " सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान " का अभिप्राय, कोई शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान जो इस अधिनियम के तहत किसी भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी को डिप्लोमा या स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री या कोई अन्य पोस्ट डिग्री प्रमाणन करता है।
- " सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी " का अभिप्राय अधिनियम के तहत किसी भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी से है।
- " सहबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायी " से अभिप्राय एक सहयोगी, तकनीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट से है जो शारीरिक व मानसिक रूप से बीमारी, चोट या उसके निदान और उपचार में किसी भी तकनीकी और व्यावहारिक कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित

होता है, और किसी चिकित्सा, नर्सिंग या कोई अन्य स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवर द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य देखरेख व उपचार तथा रेफरल योजना के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करता है, और जिसने इस अधिनियम के तहत डिप्लोमा या डिग्री की कोई योग्यता प्राप्त की है, जिसकी अवधि विशिष्ट सेमेस्टर में विभाजित दो साल से चार साल की अवधि, जो दो हजार घंटे से कम नहीं हो, में पूर्ण की गयी हो।

- (g) "सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख योग्यता" का इस अधिनियम के तहत मान्य डिप्लोमा या डिग्री या किसी अतिरिक्त नियमित शिक्षण पाठ्यक्रम में एक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी की धारित योग्यता से अभिप्रेत है।
- (h) "स्वायत्त मण्डल" का इस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के तहत गठित स्वायत्त मण्डल से अभिप्रेत है।
- (i) "केंद्रीय पंजी" का इस अधिनियम की धारा 13 के तहत आयोग द्वारा संधारित केंद्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति पंजी से अभिप्रेत है।
- (j) "आयोग" का इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग से अभिप्रेत है।
- (k) "स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी" का अभिप्राय एक वैज्ञानिक, चिकित्सक या अन्य पेशेवर से है जो निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, चिकित्सीय या प्रचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन, सलाह, अनुसंधान, पर्यवेक्षण या प्रदान करता है और जिसने इस अधिनियम के तहत डिग्री की कोई योग्यता प्राप्त की है, जिसकी अवधि तीन वर्ष में तीन हजार छह सौ घंटे से कम नहीं होना चाहिए।
- (l) "सदस्य" का अभिप्राय परिषद् के सदस्यों से है जिसमें अध्यक्ष और सदस्य भी शामिल हैं।
- (m) "अधिसूचना" का अभिप्राय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है और अभिव्यक्ति "अधिसूचित" का अभिप्राय तदनुसार समझा जाएगा;
- (n) "मान्य श्रेणियां" का अभिप्राय इन नियमों में निर्दिष्ट अनुसूची में वर्णित सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख व्यवसायी श्रेणी है;
- (o) "धारा" का अभिप्राय राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की कोई धारा से है।
- (p) "राज्य परिषद्" का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के तहत गठित 'मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद्' से है।
- (q) "राज्य पंजी" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 32 के तहत बनाए गए मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी पंजी से है।
- (r) "कार्य स्थानांतरण" का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके तहत बेहतर स्वास्थ्य और देख-रेख के लिए स्वास्थ्य कार्यबल को कुशलतापूर्वक पुनर्गठित करके विशिष्ट कार्यों को संबंधित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायियों के लिए स्थानांतरित किया जाता है।
- (s) "विश्वविद्यालय" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एफ) के तहत परिभाषित एक विश्वविद्यालय से है और जिसमें उस अधिनियम की धारा 3 के तहत एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित संस्थान भी शामिल है।
2. नियमों का अभिप्राय राज्य शासन द्वारा बनाए गए और मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित नियम होंगे।
3. जब तक और अन्यथा, संदर्भ में उपबंधित न हो, अभिव्यक्ति में 'परिषद्' का अभिप्राय 'मध्य प्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद्' से है।

4. इन नियमों में प्रयुक्त और इनमें परिभाषित नहीं किये गए, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये हैं, उन सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के तत्संबंधी अर्थ वहीं होंगे जो अधिनियम में इन्हें दिए गए हैं।

**3. मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् का गठन और संरचना:**

- (1) यह उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, जिसके पास चल और अचल संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने और अनुबंध करने की शक्ति होगी और उसी नाम से मुकदमा चलाया जाएगा या मुकदमा दायर किया जाएगा।
- (2) परिषद् ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो अधिनियम की धारा-30 के तहत बनाए गए नियमों और इन नियमों में निर्धारित किए जा सकते हैं।
- (3) मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् के गठन के उपरांत मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम 2000 के तहत गठित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् को भंग माना जाएगा।
- (4) परिषद् का गठन:- इन नियमों के लागू होने के तुरंत बाद, राज्य सरकार अधिनियम की धारा -22 में निहित प्रावधानों के अनुसार परिषद् का गठन करेगी।
- (5) राज्य परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्-
  - (a) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा हो, तथा जिसने सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख क्षेत्र में न्यूनतम पच्चीस वर्ष, जिसमें कम से कम दस वर्ष के लिए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति में नेतृत्व, अनुभव के साथ किसी विश्वविद्यालय से 'सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान' की मान्यता प्राप्त श्रेणी के किसी वृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो -**अध्यक्ष** ;
  - (b) राज्य सरकार में चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संचालक या अतिरिक्त संचालक या संयुक्त संचालक- **पदेन सदस्य**;
  - (c) राज्य सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज से डीन या विभागाध्यक्ष के पद के समतुल्य दो प्रतिनिधि -**पदेन सदस्य**;
  - (d) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के तहत राज्य परिषद् द्वारा गठित स्वायत्त मंडलों के अध्यक्ष -**पदेन सदस्य**;
  - (e) अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक मान्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा, जिनके पास ऐसी योग्यताएं और अनुभव हों जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित किए जायेंगे -**सदस्य**; और
  - (f) किसी भी मान्य श्रेणी अंतर्गत शिक्षा या सेवा क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा, जिनके पास ऐसी योग्यताएं और अनुभव होंगे जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित किए जायेंगे - **सदस्य**।
- (6) राज्य परिषद् के अध्यक्ष और अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के खंड (e) और (f) के तहत नामांकित सदस्य, उस तारीख से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे, जिस दिन से वे अपना कार्यभार संभालेंगे और वह अधिकतम दो कार्यकाल के लिए पुनः नामांकन के लिए पात्र होंगे।
- (7) सदस्य का त्यागपत्र और निष्कासन:- अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में किसी बात के बावजूद, राज्य परिषद् के अध्यक्ष एवं नामांकित सदस्य को अधिनियम के धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (e) और (f) के तहत-
  - (a) राज्य शासन को कम से कम तीन महीने का लिखित त्यागपत्र नोटिस देकर अपना पद छोड़ सकेंगे ;या
  - (b) उसे उसके पद से पृथक कर दिया जाए यदि वह-
    - A). वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है ;या

- B). किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें, राज्य शासन की राय में, नैतिक अधमता शामिल है ;या
- C). अपने धारित पद में रहते हुए कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है ;या
- D). ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;या
- E). अपने पद का इतना दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के प्रतिकूल हो गया है।
- (c) ऐसे किसी भी सदस्य को नियम 7 की उपधारा (b) के खंड (d) या खंड (e) के तहत उसके कार्यालय से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो ।

**(8) सदस्यता की समाप्ति एवं सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरना ।**

- (a) राज्य परिषद् का कोई भी सदस्य अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (b) या खंड (c) के तहत उस सेवा के समाप्त होने पर राज्य परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा जिसके आधार पर उसे नियुक्त किया गया था ।
- (b) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के तहत राज्य परिषद् में किसी आकस्मिक रिक्ति के तहत नियुक्त अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए ही पद पर रहेगा, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

**(9) परिषद् के सदस्यों की योग्यता ,अनुभव और चयन का तरीका।**

- A). अधिनियम की धारा 22 (3) (e) के अनुसार प्रत्येक मान्य श्रेणियों से दो सदस्यों को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा ।
- a) किसी भी संस्थान का प्रतिनिधित्व एक समय में परिषद् में एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाएगा।
- b) **योग्यता और अनुभव :** ऐसा कोई व्यक्ति , जिसके पास उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा हो, तथा जिसने सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख क्षेत्र में निर्धारित योग्यताधारी, जिसमें कम से कम सात वर्ष के लिए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति में नेतृत्व, अनुभव के साथ UGC से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 'सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान' की मान्यता प्राप्त श्रेणी के किसी वृत्ति में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो ।
- B). अधिनियम की धारा 22 (3) (f) के अनुसार दो सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा निम्न में से नामित किया जाएगा
- (a) स्वम-सेवी सामाजिक संस्थाओं में से
- (b) जो कम से कम दस वर्षों से कार्यरत हैं
- (c) किसी भी मान्यता प्राप्त श्रेणी के संबंध में शिक्षा या सेवाएँ प्रदान करने का कार्य किया हो
- (d) अधिमानतः एक तृतीयक या सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ जो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ा हो।
- (e) किसी भी संस्थान का प्रतिनिधित्व एक समय में परिषद् में एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाएगा।

- (f) योग्यता और अनुभव:- एक व्यक्ति जिसके पास उत्कृष्ट एवं कुशल प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा है, जिसमें से कम से कम सात साल तक वह अलाइड एण्ड हेल्थकेयर व्यवसायों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव के रूप में नेतृत्वकर्ता के कर्तव्यों का निर्वहन किया हो।
- (g) परिषद् का सदस्य होने से सदस्य के हितों का टकराव नहीं होना चाहिए
- (h) स्वम सेवी सामाजिक संस्थान को अपनी आय या बैलेंस शीट का पिछले 10 वर्षों के लिए योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया गया हो।
- (i) अतीत में कभी भी किसी चूक के लिए संस्थान को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में नहीं डाला गया हो या उसकी मान्यता रद्द नहीं की गयी हो।

**(10) परिषद् के अध्यक्ष को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें**

- (a) परिषद् के अध्यक्ष को रु. 2,00,000/- प्रति माह अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले संशोधित वेतन एवं भत्ते अनुसार पात्रता होगी
- (b) बशर्ते कि जहां परिषद् का अध्यक्ष सरकारी, अर्ध-सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति हो, तो उसे पेंशन या सेवानिवृत्त लाभों के पेंशन मूल्य या दोनों के साथ देय वेतन, अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा
- (c) यदि परिषद् का अध्यक्ष केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है, उसका वेतन और भत्ते उस पर लागू नियमों या उपरोक्त उप-नियम (a), जो भी अधिक हो, के अनुसार विनियमित होंगे और उसका परिषद् में कार्यकाल राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार 'प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरणीय' होगा।
- (d) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अर्जित संपत्ति, व्यवसायिक और वाणिज्यिक जुड़ाव या भागीदारी की घोषणा-
- परिषद् का अध्यक्ष, राज्य शासन में समकक्ष स्तर के कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार संपत्ति और देनदारियों की रिटर्न दाखिल करेगा।
  - परिषद् के अध्यक्ष को पहली नियुक्ति पर और कार्यालय छोड़ने के समय 'राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021' के अनुलग्नक फॉर्म-A में अपनी व्यवसायिक और वाणिज्यिक जुड़ाव या भागीदारी की घोषणा करनी होगी।
- (e) सदस्यों को कार्यालय, यात्रा और भत्ते का भुगतान
- 1) परिषद् के सदस्य आधिकारिक तौर पर बुलाई गई बैठक के दिन प्रति दिन 2000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये) के बैठक शुल्क के हकदार होंगे।
  - 2) परिषद् के सभी सदस्यों को राज्य शासन के प्रथम-श्रेणी के अधिकारियों के लिए समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
  - 3) परिषद् का प्रत्येक सदस्य यात्रा भत्ते (TA) और दैनिक भत्ते (DA) से संबंधित अपने देयकों के संबंध में अपना स्वयं का नियंत्रक अधिकारी होगा।

## 4) अवकाश:

## A. अघ्यस:

- प्रति वर्ष 30 दिवस के अवकाश का हकदार होगा
- राज्य शासन अवकाश स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होगी

## B. सेवारत सदस्य :अपने मूल विभाग में उनकी पात्रता के अनुसार हकदार हैं

6. परिषद् के सचिव और अन्य कर्मचारी: अधिनियम की धारा 28 (1) और 28 (2) के अनुसार, परिषद् के सचिव और अन्य कर्मचारी (#) इस प्रकार होंगे :-

क्र.	पद का नाम	पद संख्या	वेतन (##)	योग्यता	नियुक्ति का प्रकार
	सचिव*	01	15600-39100-7600 ग्रेड-पे	a.) चिकित्सीय संवर्ग से समकक्ष ग्रेड-पे पर प्रतिनियुक्ति पर / किसी शासकीय कार्यालय में समकक्ष ग्रेड-पे पर कार्यरत, अथवा उप-सचिव के पद पर न्यूनतम 05 वर्षों से कार्यरत	प्रतिनियुक्ति/ पदोन्नति
	उप सचिव*	01	15600-39100-6600 ग्रेड-पे	a.) सीधी भर्ती के माध्यम से 1. पूर्ण कालिक दो वर्षीय एम.बी.ए. की डिग्री प्रथम श्रेणी में.	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ पदोन्नति
				2. मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से कंप्यूटर में स्नातक/ पी.जी.डी.सी.ए. प्रथम श्रेणी में. 3. 10 वर्ष का प्रशासकीय पद का कार्यानुभव (जिसमें कि न्यूनतम 05 वर्ष किसी शासकीय संस्थान में प्रशासकीय पद पर प्रशासनिक कार्यानुभव). अथवा, b.) चिकित्सीय संवर्ग से समकक्ष ग्रेड-पे पर प्रतिनियुक्ति पर / किसी शासकीय कार्यालय में समकक्ष ग्रेड-पे पर कार्यरत, अथवा, सहायक-सचिव के पद पर न्यूनतम 03 वर्षों से कार्यरत	
3	सहायक सचिव/ प्रशासनिक अधिकारी*	01	15600-39100-5400 ग्रेड-पे	a. सीधी भर्ती के माध्यम से 1. पूर्ण कालिक दो वर्षीय एम.बी.ए. की डिग्री प्रथम श्रेणी में 2. मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से कंप्यूटर में स्नातक/ पी.जी.डी.सी.ए. प्रथम श्रेणी में 3. 07 वर्ष का प्रशासकीय पद का कार्यानुभव (जिसमें कि न्यूनतम 04 वर्ष किसी शासकीय संस्थान में प्रशासकीय पद पर प्रशासनिक कार्यानुभव) अथवा चिकित्सीय संवर्ग से समकक्ष ग्रेड-पे पर प्रतिनियुक्ति पर / किसी शासकीय कार्यालय में समकक्ष ग्रेड-पे पर कार्यरत	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति
4	लेखा/वित्त अधिकारी*	01	15600-39100-5400 ग्रेड-पे	a.) सीधी भर्ती के माध्यम से 1. वाणिज्य संकाय में स्नातक 2. मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से कंप्यूटर में डिप्लोमा अथवा पी.जी.डी.सी.ए. 3. सर्टिफिकेट इन टैली सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य 4. वित्त/लेखा क्षेत्र में सहायक लेखाधिकारी अथवा समकक्ष पद पर न्यूनतम 08 वर्ष का कार्यानुभव (जिसमें कि 05 वर्ष का वित्त/लेखा के क्षेत्र में किसी भी शासकीय संस्थान में कार्यानुभव). अथवा	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति

				b.) किसी शासकीय कार्यालय में समकक्ष ग्रेड-पे पर कार्यरत	
5	सलाहकार (परियोजना प्रबंधन) **	01	राशि रू. 1,50,000/- प्रति माह (अधिकतम)	1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बीई और एमबीए की डिग्री 2. न्यूनतम 07 वर्षों का कार्यानुभव जिसमें से कम से कम 03 वर्ष शासकीय क्षेत्र का कार्यानुभव।	आउटसोर्स/संविदा
6	सलाहकार (विषय विशेषज्ञ) **	01	राशि रू. 1,50,000/- प्रति माह (अधिकतम)	1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से एमबीए/एमएसडब्ल्यू की डिग्री 2. न्यूनतम 07 वर्षों का कार्यानुभव जिसमें से कम से कम 03 वर्ष शासकीय क्षेत्र का कार्यानुभव।	आउटसोर्स/संविदा
7	सलाहकार (परिवर्तन प्रबंधन) **	01	राशि रू. 1,50,000/- प्रति माह (अधिकतम)	1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से एमबीए/एमएसडब्ल्यू की डिग्री 2. न्यूनतम 07 वर्षों का कार्यानुभव जिसमें से कम से कम 03 वर्ष शासकीय क्षेत्र का कार्यानुभव।	आउटसोर्स/संविदा
				कम से कम 03 वर्ष शासकीय क्षेत्र का कार्यानुभव।	
8	सलाहकार (वित्त प्रबंधन) **	01	राशि रू. 1,50,000/- प्रति माह (अधिकतम)	1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए फाइनेंस की डिग्री 2. न्यूनतम 07 वर्षों का कार्यानुभव जिसमें से कम से कम 03 वर्ष शासकीय क्षेत्र का कार्यानुभव।	आउटसोर्स/संविदा
9	सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन) **	01	राशि रू. 1,50,000/- प्रति माह (अधिकतम)	1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बीई/एमसीए/एमबीए की डिग्री 2. न्यूनतम 07 वर्षों का कार्यानुभव जिसमें से कम से कम 03 वर्ष शासकीय क्षेत्र का कार्यानुभव।	आउटसोर्स/संविदा
10	सलाहकार (भंडार एवं क्रय प्रबंधन) **	01	राशि रू. 1,50,000/- प्रति माह (अधिकतम)	1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बीई/एमबीए की डिग्री 2. न्यूनतम 07 वर्षों का कार्यानुभव जिसमें से कम से कम 03 वर्ष शासकीय क्षेत्र का कार्यानुभव।	आउटसोर्स/संविदा
11	कार्यालय सहायक **	10	राशि रू. 25,000/- प्रति माह (अधिकतम)	1. ग्रेजुएट एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में पी.जी. डी.सी.ए. / CPCT उत्तीर्ण 2. किसी शासकीय/स्व-शासी संस्था में कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव	आउटसोर्स/संविदा
12	कंप्यूटर ऑपरेटर**	10	शासन नियमानुसार	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं/हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं COPA/DCA उत्तीर्ण, किसी शासकीय/स्व-शासी संस्था में कम से कम 03 वर्ष का कार्यानुभव	आउटसोर्स/संविदा
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी**	12	मप्र राज्य शासन नियमानुसार	मप्र राज्य शासन के प्रचलित नियम अनुसार	आउटसोर्स

(\* ) स्थायी कर्मचारियों (जैसे सचिव, उप सचिव आदि) के वेतन और भत्ते राज्य शासन के प्रचलित नियमों की शर्तों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

(\*\*) आउटसोर्स/संविदा कर्मचारियों के रोजगार की शर्तें राज्य शासन के प्रचलित नियमों की शर्तों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

(#) परिपद के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों का भुगतान समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार और सचिव द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(##) अधिनियम, 2021 की धारा 51(3) के अनुसार, राज्य परिपद के अपने कार्यों के निर्वहन में किए गए सभी खर्चों (कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक सहित) के उपयोग के लिए धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।

### 7. पंजियों का रख-रखाव:

- (1) राज्य शासन द्वारा घोषित प्रत्येक 'सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी' के लिए एक 'राज्य पंजी' का अलग फॉर्म बनाया जाएगा।
- (2) पंजी का प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से संधारित किया जाएगा।
- (3) परिषद् का सचिव, पंजियों का संरक्षक होगा और प्रत्येक माह के अंत में उसका सत्यापन करेगा
- (4) परिषद् के सचिव निर्धारित प्रपत्र-सी में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेंगे, रजिस्टर में विवरण दर्ज करने पर इन नियमों को जोड़ा गया।
- (5) यदि किसी अलाइड एण्ड हेल्थकेयर पेशेवर' का पंजीयन प्रमाण पत्र का मूल प्रति खो जाती है , तो उसे, परिषद् में संस्थान के माध्यम से 'डुप्लिकेट पंजीयन प्रमाण पत्र' के लिए आवेदन करना होगा जहां से उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ,साथ ही मूल प्रमाण पत्र के नष्ट हो जाने या खो जाने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और एमपी एलाइड एंड हेल्थकेयर द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। परिषद् द्वारा दोबारा जारी करने वाले प्रमाण पत्र में शब्द "डुप्लिकेट "स्पष्ट रूप से प्रारूप फॉर्म-सी में पंजीकरण प्रमाणपत्र )डुप्लिकेट (पर मुद्रित किया जाएगा।
- (6) जहां किसी अलाइड एण्ड हेल्थकेयर पेशेवर का पता बाद में गलत पाया जाता है ,सचिव उसे रजिस्टर में उपलब्ध उसके अंतिम ज्ञात पते पर पावती के साथ एक पंजीकृत पत्र लिखेगा और उसे अपना सही पता प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। सचिव सही पता सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रयास भी कर सकते हैं।
- (7) यदि पेशेवर या किसी अन्य प्रामाणिक स्रोत से सही पते के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है ,तो पेशेवर के नाम के सामने रजिस्टर के पता कॉलम में "सही पता नहीं मिला "शब्द दर्ज किया जाएगा।
- (8) जहां प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है कि किसी पेशेवर की मृत्यु हो गयी है ,सचिव उसका नाम संबंधित रजिस्टर से हटा देगा।
- (9) किसी भी डिग्री/डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के तहत परिषद् द्वारा पंजीकृत सभी व्यक्ति अलाइड एण्ड हेल्थकेयर पेशेवर के रूप में अभ्यास के लिए कानूनी रूप से योग्य हैं।
- (10) प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर एमपी अलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ अपने पंजीकरण के नवीनीकरण की नियत तारीख से एक महीने पहले परिषद् के सचिव को आवेदन करना होगा।
- (11) यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन नियत तिथि के बाद प्राप्त होता है ,तो उसका नाम रजिस्ट्रार द्वारा हटाया जा सकता है। जब तक नवीनीकरण शुल्क के साथ निर्धारित जुर्माना परिषद् को भुगतान नहीं किया जाता ,उसका नाम रजिस्टर में बहाल/पुनः दर्ज नहीं किया जाएगा।

### 8. परिषद् के कार्य का संचालन :

- (1) अध्यक्ष परिषद् की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा
- (2) अध्यक्ष बैठक का स्थान और तरीका तय करेगा और सूचित करेगा
- (3) कोरम के अभाव में स्थगन - :
  - a) बैठक का कोरम अध्यक्ष सहित परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का आधा होगा। यदि किसी बैठक के लिए नियत किसी भी समय या किसी बैठक की प्रक्रिया के दौरान कोरम मौजूद नहीं है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और यदि इस प्रकार के स्थगन से तीस मिनट बीत जाने के बाद भी कोरम पूर्ण नहीं है तो बैठक ऐसी भविष्य की तारीख और समय के लिए स्थगित कर दी जाएगी जो परिषद् के अध्यक्ष उचित मानकर निर्धारित करें।
  - b) विशेष बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष सहित परिषद् के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा।

## (4) परिषद् के बैठक का संचालन:

- a) एक सदस्य द्वारा उठाया गया प्रत्येक मामला सम्यक समर्थन से सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर अवधारित किया जायेगा, और अध्यक्ष द्वारा परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा।
- b) जब कोई प्रस्ताव लाया गया है और उसका समर्थन किया गया है और उसे अध्यक्ष द्वारा परिषद् में रखा गया है, तो इस प्रश्न के सकारात्मक या नकारात्मक रूप से निपटान हेतु चर्चा की जाएगी अथवा कोई भी सदस्य प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत कर सकता है।
- c) परन्तु अध्यक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले उस संशोधन की अनुमति नहीं देगा, जो एक वास्तविक प्रस्ताव रहा हो, परिषद् के प्रकार्यों के कार्यक्षेत्र से बाहर विचार करने के लिए अस्वीकार्य होगा।
- d) बैठक में अनुपस्थित किसी सदस्य के नाम पर कोई भी प्रस्ताव या संशोधन अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- e) प्रस्तावों के लिए संशोधन :- जब किसी प्रस्ताव के लिए संशोधन लाया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है या जब दो या दो से अधिक संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं और समर्थन किया जाता है, तो अध्यक्ष यह तय करेगा कि किसका प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद अन्य प्रस्ताव या प्रस्तावों को वापस लेने का निर्णय लिया जाएगा।

## f) संशोधन का कार्यक्षेत्र :-

- कोई संशोधन सुसंगत होगा और प्रस्ताव के उस कार्यक्षेत्र में होगा जिसके लिए प्रस्तावित किया गया है।
- ऐसा संशोधन जो मूल प्रस्ताव को नकारता है, का प्रस्ताव न किया जाये।
- अध्यक्ष परिषद् के समक्ष उस संशोधन को प्रस्तुत करने से इंकार कर सकता है जो उसकी राय में प्रस्ताव के सुसंगत नहीं होगा।

संशोधन का स्वरूप :- प्रस्ताव को निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया जा सकता है-

- शब्दों का विलोपन, अंतःस्थापन अथवा शामिल करना, या
- किसी मूल शब्दों के लिए शब्दों का प्रतिस्थापन करना।

## g) चर्चा करना :-

जब भी किसी प्रस्ताव अथवा संशोधन पर चर्चा की जाती है तो उस संदर्भ में निम्नलिखित के अलावा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि -

- यथास्थिति प्रस्ताव अथवा संशोधन, में संशोधन के लिए
- किसी निर्धारित तारीख और समयकाल के लिए अथवा अनिश्चित काल के लिए प्रस्ताव का संशोधन पर चर्चा के स्थगन के लिए प्रस्ताव
- समापन के लिए कोई प्रस्ताव नामित ऐसा कोई प्रस्ताव जिसमें अब प्रश्न पूछा जाना है।
- ऐसा प्रस्ताव जिस पर परिषद् इस प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू करने की बजाय कार्यक्रम में आगामी मद की ओर बढ़ जाता है:

परन्तु इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव को किसी ऐसे सदस्य द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाए जो बैठक से पहले ही इस प्रश्न पर बोल चुका है:

परन्तु यह और कि समापन अथवा आगामी मद की ओर बढ़ाएं जाने के लिए संदर्भित किसी प्रस्ताव को बिना किसी चर्चा के ही आगे बढ़ाया जायेगा।

- किसी प्रस्ताव अथवा संशोधन पर चर्चा के स्थगन के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करना अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होगा।
- समापन प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाने पर, अध्यक्ष को प्रस्तावक को उत्तर दिए जाने के अधिकार को मंजूरी देने के बाद प्रस्ताव अथवा संशोधन पर मत करवाएगा।

- h) प्रस्ताव को वापस लेना :- किसी भी ऐसे प्रस्ताव या संशोधन को जिसे लाया गया है और जिसे समर्थन प्राप्त है, को परिषद् की मंजूरी जो कि किसी भी सदस्य के इस मंजूरी के प्रदान करने से मना किये जाने के बाद प्रदान की गयी नहीं मानी जाएगी, को छोड़कर, वापिस नहीं लिया जायेगा।
- i) सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श :- जब भी किसी प्रस्ताव को लाया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है तो उसे लाने वाले और उसके समर्थक सदस्य के अलावा सभी सदस्य उसी क्रम में इस प्रस्ताव पर बोल सकते हैं, जैसा अध्यक्ष निर्देश दें :  
परन्तु प्रस्ताव अथवा संशोधन के समर्थक को, अध्यक्ष की मंजूरी से, यथास्थिति प्रस्ताव अथवा संशोधन, का समर्थन करने और विचार-विमर्श के उपरांत किसी नभी चरण में इस विषय में बोलने तक स्वयं को सिमित रखना होगा।
- j) प्रस्तावक का उत्तर देने का अधिकार :-  
• किसी भी प्रस्तावक और, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जाती है, तो किसी भी संशोधन के प्रस्तावक को अंतिम उत्तर देने के अधिकार होगा और कोई भी अन्य सदस्य तब तक किसी भी चर्चा में एक से अधिक बार नहीं बोलेंगे जब तक इन्हें इस प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत तौर पर उल्लेख करने अथवा अध्यक्ष के संबोधन उपरांत सदस्य से प्रश्न पूछने की मंजूरी प्रदान नहीं की जाती :  
परन्तु कोई भी सदस्य चर्चा के किसी भी चरण में विधि अथवा कानूनी प्रक्रिया के बिंदु का समावेशन करते हुए प्रश्न पूछ सकता है किन्तु उसे कोई भाषण देने की मंजूरी नहीं होगी।  
परन्तु यह और कि इसके अलावा कोई भी सदस्य जो प्रस्ताव पर पहले बोल चुका है, उसे उसी प्रस्ताव पर तथा उसे आगे संशोधन करते हुए आगे बढ़ाने पर, पुनः बोल सकता है।
- k) प्रस्ताव पर मतदान :- जब विभिन्न बिन्दुओं वाले किसी प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है तो यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होगा कि उस प्रस्ताव को विभाजित किया जाये और प्रत्येक या किसी एक बिंदु पर अलग से मतदान किया जाये, जो वह उचित समझे।
- l) प्रस्ताव में संशोधन के लिए मतदान :-  
• किसी प्रस्ताव में संशोधन किये जाने के लिए उस पर मतदान किया जाएगा।  
• यदि किसी प्रस्ताव में एक से अधिक संशोधन किये जाने हैं, तो अध्यक्ष निर्णय करेगा कि यह किस क्रम में किया जाये।  
• मतदान सामान्य तौर पर हाथ उठाकर किया जायेगा, किन्तु यह मतपत्रों द्वारा भी किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में इसकी मांग करने वाले सदस्य तीन से कम नहीं होने चाहिए।  
• मतों के परिणाम की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।  
• समान मतों की स्थिति में, अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक वोट होगा।
- m) बैठकों का स्थगन :- अध्यक्ष यदि किसी समय यह आवश्यक समझता है, तो उसके कारणों को बताते हुए किसी आगामी तारीख के लिए अथवा उसी दिन किसी समय के लिए, किसी बैठक को स्थगित कर सकता है।
- n) जब कभी आगामी तारीख के लिए बैठक स्थगित होती है, तो सचिव सभी सदस्यों को को स्थगित बैठक की सूचना भेजेगा।
- o) जब आगामी तारीख के लिए बैठक स्थगित की गयी है और अध्यक्ष जिसे अनिवार्य कारणों से किसी अन्य तारीख पर परिवर्तित करता है, तो सचिव प्रत्येक सदस्य को उक्त परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा।
- p) बैठक में आगामी तारीख के लिए स्थगित की गई बैठक में पिछले दिन के किसी प्रस्ताव को, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश नहीं देता, कार्यसूची पर अन्य मामलों पर वरीयता दी जाएगी।

- q) बैठक की शुरुआत में या बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद, अध्यक्ष कार्यसूची पर कार्य के क्रम में परिवर्तन का आदेश दे सकता है, और यदि परिषद् इस तरह के परिवर्तन से सहमत है, तो इसे कार्यान्वित किया जायेगा
- r) कोई मामला, जो मूल बैठक के कार्यसूची में शामिल नहीं था, पर स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी।
- s) स्थगित बैठक के लिए भी साधारण बैठक जैसा ही कोरम आवश्यक होगा
- t) आदेश के बिंदु :-
- अध्यक्ष आदेश के सभी बिन्दुओं अथवा विवादों, जो कि किसी बैठक में उठ सकते हैं, पर निर्णय लेगा।
  - यदि कोई प्रश्न किसी मामले के संबंध में प्रक्रिया के संदर्भ में उठता है, जिसके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं है, तो अध्यक्ष ही उक्त पर निर्णय लेगा।
  - परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति :- परिषद् की बैठकों में परिषद् के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों अथवा अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अनुसार पात्र व्यक्ति के अलावा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति या विशेष निमंत्रण के बिना कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं होगा।
9. **परिषद् की मुहर :-** परिषद् की एक मुहर होगी, परिषद् का सचिव ऐसे समस्त लिखत दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा, जिस पर मुहर लगाई जानी है।
10. **शुल्क :-** "मध्य प्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद्" के पक्ष में एक राष्ट्रीयकृत बैंक पर ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी और सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों द्वारा निम्नलिखित शुल्क परिषद् को देय होगा और परिषद् के सचिव के नाम जमा करना होगा।
11. **अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के तहत राज्य रजिस्टर में पंजीकरण के लिए शुल्क :-**
- 1) परिषद् मध्य प्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी पंजी का संधारण करेगी, जो ऑनलाइन और लाइव होगा।
  - 2) आवेदक को फॉर्म-बी या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित किए गए किसी अन्य प्रारूप के अनुसार आवेदन करना होगा
  - 3) आवेदन के साथ पंजीकरण शुल्क रु 3000/- या परिषद् द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार, मध्य प्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् निधि के पक्ष में देय होगा।
12. **अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (3) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रपत्र :-**  
इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म सी या परिषद् द्वारा संशोधित एक प्रमाणपत्र सचिव द्वारा अपनी मुहर के तहत जारी किया जाएगा।
13. **धारा 34 के अंतर्गत डुप्लिकेट प्रमाणपत्र के लिए शुल्क एवं प्रपत्र :-**
- (1) इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म सी में या परिषद् द्वारा संशोधित एक प्रमाणपत्र सचिव द्वारा अपनी मुहर के तहत जारी किया जाएगा।
  - (2) डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में रुपये 500/- शुल्क या परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया शुल्क, मध्य प्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् निधि के पक्ष में लिया जाएगा।
14. **अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के तहत शुल्क और ऐसे शुल्क के भुगतान का तरीका :-**
- (1) इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म सी में या परिषद् द्वारा संशोधित एक नवीनीकरण प्रमाणपत्र सचिव द्वारा अपनी मुहर के तहत जारी किया जाएगा।
  - (2) नवीनीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में शुल्क रु. 3000/- (तीन हजार) या परिषद् द्वारा समय-समय पर तय किये गए शुल्क अनुसार मध्य प्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् निधि के पक्ष में देय होगा।

**15. अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के तहत राज्य पंजी में नाम की बहाली के लिए शुल्क :-**

अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत डिफॉल्टर का नाम हटाने के मामले में, हटाए गए नाम को राज्य पंजी में बहाल किये जाने हेतु शुल्क रूपए 5000/- (पांच हजार) या समय-समय पर परिषद् द्वारा तय किए गए शुल्क अनुसार मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् निधि के पक्ष में देय होगा।

**16. धारा 37 के तहत राज्य पंजी में नाम की बहाली के लिए शुल्क :-**

1) राज्य में किसी व्यक्ति के नाम की बहाली के मामले में शुल्क रु. 10000 (दस हजार) या जैसा राज्य परिषद् द्वारा निर्णय लिया जाएगा, मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् निधि के पक्ष में देय होगा।

2) राज्य पंजी में अतिरिक्त प्रविष्टि के लिए आवेदन का प्रपत्र, तरीका और शुल्क :-

i. मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी पंजी में अतिरिक्त योग्यता के पंजीकरण के लिए आवेदन राज्य परिषद् को ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

ii. प्रत्येक योग्यता के लिए राशि रुपये 2000/- (दो हजार) का शुल्क या परिषद् द्वारा समय-समय पर तय किए गए शुल्क अनुसार मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् निधि के पक्ष में देय होगा,

अतिरिक्त योग्यता (विधिवत प्रमाणित डिग्री या डिप्लोमा) की प्रति जिसके लिए अतिरिक्त प्रविष्टि मांगी गई है, आवेदन के साथ भेजी जानी होगी।

1) फॉर्म-डी में या परिषद् द्वारा संशोधित एक प्रमाण पत्र सचिव द्वारा अपनी मुहर के तहत जारी किया जाएगा।

**17. धारा 51 की उपधारा (3) के तहत राज्य परिषद् के कार्यों के निर्वहन में किए गए व्यय के लिए निधि के आवेदन की विधि :-**

अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि को अधिनियम/राज्य परिषद् के निहित उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्यों के निर्वहन हेतु राज्य परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार खर्च किये जायेंगे।

**18. धारा 53 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रपत्र एवं समय :-**

1) बारह महीने की अवधि के अंत में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति में, परिषद् वित्तीय विवरण के संकलन के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति पर नोट्स के साथ निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार करेगी-

a. बैलेंस शीट

b. आय और व्यय खाता

c. प्राप्ति एवं भुगतान खाता

2) वार्षिक वित्तीय विवरण को परिषद् द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाएगा और प्रमाणीकरण के उद्देश्य से, परिषद् के अध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

3) परिषद् के अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण का ऑडिट किया जाएगा और वित्तीय वर्ष समाप्ति के हर छह माह में परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

4) परिषद् प्रत्येक वर्ष में एक बार नियमों के साथ संलग्न अनुसूची 'प्रपत्र-ई' में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

5) प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक परिषद्, प्रमुख सचिव/सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य शासन को वार्षिक रिपोर्ट सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करेगी।

**विविध**

**[धारा -68 (N) के तहत]**

**1. स्वायत्त मण्डल का गठन एवं कार्य**

- i. मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद्, अधिसूचना द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायियों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित स्वायत्त मंडलों का गठन करेगी, अर्थात् -
  - a. स्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा मण्डल
  - b. स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा मण्डल
  - c. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी मूल्यांकन और रेटिंग मण्डल, और
  - d. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी नैतिकता और पंजीकरण मण्डल।
- ii. उपरोक्तानुसार गठित स्वायत्त मंडलों में प्रत्येक मान्य श्रेणियों के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 03 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
- iii. स्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा मण्डल और स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा मण्डल द्वारा स्नातक शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए राज्य परिषद् द्वारा सौंपे गए मान्यता प्राप्त योग्यता और अन्य कार्यों के पाठ्यक्रम का अनुमोदन गतिशील पाठ्यक्रम सामग्री के आधार पर स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी स्तर पर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा के मानकों का निर्धारण किया जायेगा, जिसमें गतिशील पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य सामग्री विकसित करेगा, निर्धारित मानदंडों के आधार पर संस्थागत मानकों की समीक्षा करेगा, संकाय विकास करेगा।
- iv. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायों का मूल्यांकन और रेटिंग मण्डल द्वारा नए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों की स्थापना और सीट क्षमता की अनुमति देने, मूल्यांकनकर्ताओं को सूचीबद्ध करने, चेतावनी देने या जुर्माना, न्यूनतम आवश्यक मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों की मान्यता और राज्य परिषद् द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को वापस लेने की सिफारिश करना।
- v. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसाय नैतिकता और विनियमन मण्डल द्वारा राज्य में सभी पंजीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायियों के ऑनलाइन और लाइव राज्य पंजी का संधारण करेगा, व्यवसाय आचरण और नैतिकता को विनियमित एवं बढ़ावा देने का कार्य करेगा और राज्य परिषद् द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को करेगा।
- vi. स्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा या स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी मूल्यांकन और रेटिंग या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी नैतिकता और पंजीकरण मंडलों द्वारा ऐसे अन्य कार्य, जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, किये जायेंगे।
- vii. योग्यता एवं अनुभव
  - a) स्वायत्त मण्डल का अध्यक्ष या सदस्य, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की मान्य श्रेणी के किसी वृत्ति में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास कम से कम 10 साल का कार्य अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम तीन साल का अनुभव सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख क्षेत्र में अग्रणी और उत्कृष्ट क्षमता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और अखंडता रखने वाला होगा
  - b) मण्डल का अध्यक्ष और एक सदस्य संबंधित श्रेणी का पंजीकृत व्यवसायी होगा।
- viii. कार्यकाल :- मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष का होगा।

## 2. सलाहकार बोर्ड का गठन

राज्य परिषद् अधिसूचना द्वारा प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के लिए व्यावसायिक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी और इसमें मान्यता प्राप्त श्रेणी में प्रत्येक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे, जिनकी संख्या कम से कम चार और अधिकतम सात होगी।

### A. योग्यता एवं अनुभव

- i) सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की मान्य श्रेणी के किसी वृत्ति में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास कम से कम 10 साल का कार्य अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम तीन साल का अनुभव सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख क्षेत्र में अग्रणी और उत्कृष्ट क्षमता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और अखंडता रखने वाला होगा
- ii) मण्डल का अध्यक्ष और एक सदस्य संबंधित श्रेणी का पंजीकृत व्यवसायी होगा।
- iii) कार्यकाल - बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल शामिल होने की तारीख से 05 वर्ष का होगा।

### B. सलाहकार बोर्ड के कार्य

मान्यता प्राप्त श्रेणियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और राज्य परिषद् की सिफारिश करने और राज्य परिषद् द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य गतिविधि को करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

## 3. अपराध और दण्ड

- A. यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी विशिष्ट समय में केंद्रीय पंजी अथवा राज्य पंजी में दर्ज नहीं है, मिथ्या रूप से प्रतिनिधित्व करता है कि वह इस तरह दर्ज किया गया है या अपने नाम या शीर्षक के संबंध में किसी शब्द या अक्षर का उपयोग यह सुझाव देने के लिए करता है कि उसका नाम इस तरह दर्ज किया गया है, तो उस पर पहली बार दोषी पाए जाने पर राशि रुपये 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और पुनः दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की कैद या एक लाख रुपये से अनधिक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

### B. यदि कोई व्यक्ति

1. केंद्रीय पंजी या राज्य पंजी में पंजीकृत व्यक्ति न होने पर किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी का विवरण लेता है या उसका उपयोग करता है, या
2. इस अधिनियम के तहत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी की योग्यता नहीं रखने पर, डिग्री या डिप्लोमा या पंजीयन या ऐसी योग्यता को इंगित करने या लागू करने वाले संक्षिप्त नाम का उपयोग करता है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पर जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, और पुनः दोषी पाए जाने पर कारावास से, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम केंद्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, तो उसे अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र या नवीनीकरण प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, या दोनों को तुरंत सरेंडर करना होगा, ऐसा न करने पर उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो राशि रूपए 50,000/- तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की स्थिति में, अतिरिक्त जुर्माना, जो अपराध जारी रहने के पहले दिन के बाद से प्रतिदिन रुपये 5000/- तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
4. जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम का उल्लंघन करेगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो पांच लाख रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।

4. नए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति संस्थान की स्थापना, अध्ययन के नए पाठ्यक्रम आदि के लिए आवेदन का फॉर्म, तरीका व विवरण एवं शुल्क निर्धारण :-
- 1) इस योजना के तहत सभी आवेदन परिषद् के सचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे
  - 2) पात्रता मानदंड: निम्नलिखित संगठन एक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, अर्थात्- :
    - (a) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश;
    - (b) विश्वविद्यालय;
    - (c) चिकित्सा शिक्षा के प्रयोजन से कानून द्वारा, अथवा उसके तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नत एक स्वायत्त निकाय ;
    - (d) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या राज्यों में संबंधित अधिनियमों के तहत पंजीकृत एक सोसायटी;
    - (e) कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी जा सकती है, महाविद्यालय द्वारा इसका व्यावसायीकरण करने पर अनुज्ञा वापस ले ली जाएगी।
  - 3) अर्हक मानदंड : पात्र व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर संस्थान की स्थापना करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन करने हेतु अर्हता प्राप्त करेंगे :-
    - a) संस्थान के पास विश्वविद्यालय से सहबद्धता होनी चाहिए
    - b) संस्थान इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा निर्धारित मानकों, जिन्हें विनियमों के माध्यम से परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है, के मूलभूत मानकों को पूरा करता हो।
    - c) संस्थान को राज्य शासन से अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा, जिसमें परिषद् द्वारा विनियमों के माध्यम से विनिर्दिष्ट तरीके से विशिष्ट पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को दर्शाना होगा।
  - 4) स्कीम प्ररूप और प्रक्रियाएँ:
    - I. भाग I- व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित विवरण समाविष्ट होगा, नामतः:
      - (a) पात्रता मानदंड की शर्तों के अनुसार आवेदक की प्रास्थिति
      - (b) संस्थान/महाविद्यालयों में चुने गए व्यावसायिक पाठ्यक्रम
      - (c) आवेदक की आधारित अवसंरचनात्मक सुविधाएँ, प्रबंधकीय एवं वित्तीय क्षमताएँ (पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट)
    - II. भाग II – इसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-
      - (a) संस्थान/महाविद्यालय का नाम और पता
      - (b) शैक्षिक कार्यक्रम -
        - i. प्रस्तावित पाठ्यक्रम
        - ii. छात्रों का प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश - डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 50 से अधिक नहीं, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 50, मास्टर पाठ्यक्रमों के लिए 15 (प्रत्येक विशेषता)
        - iii. प्रवेश मानदंड और प्रवेश की पद्धति- जैसा कि विश्वविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित है
        - iv. अध्ययनों का विभागवार और वर्षवार पाठ्यक्रम- जैसा कि विश्वविद्यालय अध्यादेश और पाठ्यक्रम में उल्लेखित है
      - (c) सीटों का आरक्षण - मध्य प्रदेश सरकार के समय-समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार।
      - (d) संकाय-सदस्य एवं अन्य कर्मचारी -विभागवार एवं वर्षवार आवश्यकता :
        - i. वर्षवार आवश्यक शिक्षण स्टाफ (50 सीटों के लिए)

**A-आवश्यक पोस्ट**

नहीं	पद का नाम: Fitter	डिप्लोमा	डिग्री	स्नातकोत्तर
1	प्रधानाचार्य		1	
2	प्राध्यापक	-		1
3	सह - प्राध्यापक	-	1	1
4	सहायक प्राध्यापक	2	2	2
5	डेमोसट्रेटर/ट्यूटर	2	2	2

## B - शैक्षणिक पद हेतु आवश्यक अर्हताएं

क्र.	पद का नाम	डिप्लोमा	डिग्री	स्नातकोत्तर
1	प्रधानाचार्य	संबंधित संकाय से मेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर या पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	संबंधित संकाय से मेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर या पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	संबंधित संकाय से मेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर या पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव
2	प्राध्यापक	संबंधित संकाय से मेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर या पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 07 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	संबंधित संकाय से मेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर या पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 07 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	संबंधित संकाय से मेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर या पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 07 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव
3	सह - प्राध्यापक	मेडिकल क्षेत्र में स्नातक या संबंधित संकाय से पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 05 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	मेडिकल क्षेत्र में स्नातक या संबंधित संकाय से पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 05 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	मेडिकल क्षेत्र में स्नातक या संबंधित संकाय से पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 05 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव
4	सहायक प्राध्यापक	मेडिकल क्षेत्र में स्नातक या संबंधित संकाय से पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 03 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	मेडिकल क्षेत्र में स्नातक या संबंधित संकाय से पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 03 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	मेडिकल क्षेत्र में स्नातक या संबंधित संकाय से पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 03 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव
5	डेमोंसट्रेटर/ट्यूटर	मेडिकल क्षेत्र में स्नातक या संबंधित संकाय से पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 02 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	मेडिकल क्षेत्र में स्नातक या संबंधित संकाय से पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 02 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	मेडिकल क्षेत्र में स्नातक या संबंधित संकाय से पैरामेडिकल क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 02 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव

नोट:-

## C-गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवश्यक पद

क्र.	पद का नाम	योग्यता	संख्या
1	लिपिक	ग्रेजुएशन और हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग, कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान	02
2	पुस्तकालय अधीक्षक	लाइब्रेरी में स्नातक/डिप्लोमा धारक होना अनिवार्य है	01
3	प्रयोगशाला सहायक	हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण	प्रत्येक लैब के लिए 01
4	चौकीदार/चपरासी/सफाईकर्मी	कक्षा 8 <sup>वीं</sup> उत्तीर्ण	01 प्रत्येक
5	चालक	कक्षा 8 <sup>वीं</sup> उत्तीर्ण और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए	प्रत्येक वाहन के लिए 01

**D -हॉस्टल स्टाफ के लिए आवश्यक पद**

स.क्र.	पद का नाम	योग्यता
1	अधीक्षक	गृह विज्ञान/हाउस कीपिंग में स्नातक या डिप्लोमा धारक
2	रसोइया	कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण
3	चौकीदार/चपरासी/सफाईकर्मी	कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण

**E- संस्थान की अधोसंरचना -**

(योजना, लेआउट और ऊंचाई और फर्श के अनुसार क्षेत्र की गणना)

**a-शैक्षणिक (प्रशासनिक एवं शैक्षणिक) भवन**

क्रमांक	भवन का नाम	निर्मित क्षेत्र		
		डिप्लोमा	डिग्री	डाक स्नातक
1	प्रधानाचार्य कक्ष / नोडल अधिकारी	350 वर्ग फुट	350 वर्ग फुट	350 वर्ग फुट
2	विभागाध्यक्ष / प्रोफेसर कक्ष	350 वर्ग फुट	350 वर्ग फुट	350 वर्ग फुट
3	स्टाफ रूम (शैक्षणिक)	500 वर्ग फुट	500 वर्ग फुट	500 वर्ग फुट
4	कार्यालय अनुभाग प्रशासनिक अधिकारी / सामान्य शाखा / लेखा शाखा । / स्थापना शाखा/छात्र शाखा/कंप्यूटर शाखा/अभिलेख शाखा/खेल शाखा/गोपनीय अभिलेख/परीक्षा विभाग	1000 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट
5	सम्मेलन कक्ष	250 वर्ग फुट	400 वर्ग फुट	400 वर्ग फुट
6	शिक्षण कक्ष 1000 वर्ग फुट. प्रति कमरा	03 कमरे	04 कमरे	02 कमरे
7	बड़ा कमरा	350 वर्ग फुट	350 वर्ग फुट	350 वर्ग फुट
8	एनाटॉमी लैब	1500 वर्ग फुट	1500 वर्ग फुट	1500 वर्ग फुट
9	फिजियोलॉजी लैब	1500 वर्ग फुट	1500 वर्ग फुट	1500 वर्ग फुट
10	पुस्तकालय	1000 वर्ग फुट	2000 वर्ग फुट	2000 वर्ग फुट
11	कंप्यूटर प्रयोगशाला	1000 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट
12	पेंट्री और कैटीन	1000 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट
13	कॉमन रूम (छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग)	500 वर्ग फुट	1200 वर्ग फुट	1200 वर्ग फुट
14	पीने के पानी की सुविधा	200 वर्ग फुट	200 वर्ग फुट	200 वर्ग फुट
15	प्रसाधन (शौचालय/वॉश-बेसिन) छात्रों के लिए (पुरुष)	1000 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट
16	प्रसाधन (शौचालय/वॉश-बेसिन) छात्रों के लिए (महिला)	1000 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट

नोट :पाठ्यक्रमवार और पालीवार कक्षाओं के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

## b -शैक्षणिक भवन

क्र.	भवन कक्ष का नाम	निर्मित क्षेत्र
01	छात्रावास कक्ष	प्रति 2 छात्रों पर 200 वर्ग फुट
02	स्नानघर	प्रति 2 छात्रों के लिए एक
03	शौचालय	प्रति 2 छात्रों के लिए एक
04	अतिथि -कमरा	200 वर्ग फुट न्यूनतम एक कमरा
05	स्टोर कक्ष	800 वर्ग फुट
06	भोजन कक्ष	प्रति छात्र 10 वर्ग फुट
07	रसोई एवं स्टोर रूम	प्रत्येक 500 वर्ग फुट
08	वार्डन कक्ष/कार्यालय	प्रति वार्डन 200 वर्ग फुट

नोट :पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए

## III. भाग- III

## a. मौजूदा अस्पताल का नाम और पता

## b. अस्पताल का विवरण -

i) डिप्लोमा/डिग्री/पीजी पाठ्यक्रम - 100 बिस्तरों वाला स्वयं का अस्पताल/ संलग्न अस्पताल एवं संबंधित विभाग होना अनिवार्य है। छात्र: अस्पताल / ओपीडी में मरीजों का अनुपात 1:3 होना चाहिए। संलग्न अस्पताल के मामले में कॉलेज के शैक्षणिक ब्लॉक से अधिकतम दूरी 25किमी होनी चाहिए। कॉलेज के पास अपना स्वयं का/कम से कम दो पीएचसी/एनजीओ/ विशेष स्कूल के साथ सामुदायिक प्रशिक्षण के लिए अनुबन्ध होना चाहिए।

## आवेदन शुल्क:

संस्थान द्वारा डिप्लोमा कोर्स के लिए रू. 80 हजार प्रति कोर्स, डिग्री के लिए रू. 01 लाख प्रति कोर्स और पीजी के लिए रू. 1.5 लाख प्रति कोर्स या आवेदन जमा करने के समय मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् द्वारा तय की गई फीस के अनुसार ,मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् निधि के पक्ष में देय होगा।

बैंक गारंटी:- 03 कोर्स तक राशि रू. तीन लाख, दस कोर्स तक राशि रू. पांच लाख और दस कोर्स से ऊपर के प्रत्येक कोर्स के लिए, राशि रू. पांच लाख के अतिरिक्त प्रति कोर्स राशि रुपये रू. दो लाख, मध्यप्रदेश सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् निधि के पक्ष में आवेदन के साथ जमा करना होगा।

## 5. 'राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021' की धारा 2(r) के तहत उल्लेखित पाठ्यक्रम निम्नानुसार अनुसूची में संलग्न हैं - :

क्रम संख्या	मान्यता प्राप्त श्रेणी	सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवर	आईए ससीओ कोड
1-	2-	3-	4-
1	मेडिकल लेबोरेट्री एण्ड लाइफ साइंस प्रोफेशनल नोट :लाइफ साइंस प्रोफेशनल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मानव और अन्य जीवन रूपों पर अनुसंधान के अनुप्रयोग, एक-दूसरे और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत, नए ज्ञान विकसित करने और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने का ज्ञान है और जो विविध क्षेत्रों में काम करता है जीवाणु विज्ञान, जैव रसायन, आनुवंशिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, औषध विज्ञान, विष विज्ञान और विषाणु विज्ञान के रूप में और जो नई प्रक्रियाओं और तकनीकों की पहचान करने	(i) बायोटेक्नोलॉजिस्ट (ii) बायोकेमिस्ट (नॉन-क्लिनिकल) (iii) सेल जेनेटिकिस्ट (iv) माइक्रोबायोलॉजिस्ट (नॉन-क्लिनिकल) (v) मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट (नॉन-क्लिनिकल) (vi) मॉलिक्यूलर जेनेटिकिस्ट	2131

और विकसित करने के लिए प्रयोगात्मक और क्षेत्र डेटा एकत्र, विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं।

**मेडिकल लेबोरेट्री साइंसेस प्रोफेशनल**

**नोट:** मेडिकल और पैथोलॉजी प्रयोगशाला पेशेवर वह व्यक्ति है जो रोगी के स्वास्थ्य या मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शारीरिक तरल पदार्थ और ऊतकों के नमूनों पर नैदानिक परीक्षण करता है और चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी या संबंधित क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जिसमें शामिल है रक्त, मूत्र और रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ सहित जैविक सामग्री के विश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर और फ्लेम फोटोमीटर जैसे उपकरणों का परीक्षण और संचालन।

- (i) साइटोटेक्नोलॉजिस्ट 3212
- (ii) फॉरेंसिक साइंसेस टेक्नोलॉजिस्ट
- (iii) हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट
- (iv) हेमेटो टेक्नोलॉजिस्ट
- (v) मेडिकल लेब टेक्नोलॉजिस्ट

**2 ट्रॉमा, बर्न केयर एंड सर्जिकल/एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी**

**ट्रॉमा और बर्न केयर प्रोफेशनल**

**नोट:** ट्रॉमा और बर्न केयर प्रोफेशनल एक ऐसा व्यक्ति है जो सलाहकार, नैदानिक, उपचारात्मक और निवारक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, जो कि आपातकालीन और बर्न केयर टेक्नोलॉजिस्ट सहित एक मेडिकल डॉक्टर द्वारा की जाने वाली सेवाओं की तुलना में दायरे और जटिलता में अधिक सीमित है, जो स्वायत्त रूप से या सीमित पर्यवेक्षण के साथ काम करते हैं। चोटों और अन्य शारीरिक हानियों के उपचार और रोकथाम के लिए चिकित्सक और उन्नत नैदानिक प्रक्रियाएं लागू करते हैं।

- (i) एडवांस केयर पैरामेडिक 2240
- (ii) बर्न केयर टेक्नोलॉजिस्ट 2240
- (iii) इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट (पैरामेडिक) 3258

**सर्जिकल और एनेस्थीसिया - रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल**

**नोट :** सर्जिकल और एनेस्थीसिया से संबंधित प्रौद्योगिकी पेशेवर वह व्यक्ति होता है जो ऑपरेशन थिएटरों में एक बहु-विषयक टीम का सदस्य होता है, जो एक ऑपरेटिंग थिएटर तैयार करता है और उसका रखरखाव करता है, पेरी-ऑपरेटिव अवधि के दौरान एनेस्थेतिस्ट और सर्जिकल टीम की सहायता करता है और सहायता प्रदान करता है। रिकवरी रूम में मरीजों की मुख्य भूमिका में एनेस्थीसिया उपकरण की स्थापना, जांच और रखरखाव, ऑपरेशन रूम और टेबल की तैयारी, केंद्रीय बाँझ सेवा विभाग के कार्यों का प्रबंधन, आपातकालीन स्थितियों और आपदा तैयारियों में सहायता और सर्जनों का समर्थन शामिल है। किसी अन्य संबंधित नैदानिक क्षेत्र में एनेस्थेतिस्ट।

- (i) एनेस्थीसिया असिस्टेंट और टेक्नोलॉजिस्ट 3259
- (ii) ऑपरेशन थिएटर ओटी (टेक्नोलॉजिस्ट) 3259
- (iii) एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी टेक्नोलॉजिस्ट 3259

- 3 **फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल**  
 नोट : फिजियोथेरेपी पेशेवर वह व्यक्ति है जो व्यापक परीक्षण और उचित जांच करके फिजियोथेरेपी का अभ्यास करता है, किसी भी व्यक्ति को गतिशीलता या कार्यात्मक अक्षमता, खराबी, विकार, विकलांगता, उपचार और दर्द की तैयारी के लिए या उसके संबंध में उपचार और सलाह प्रदान करता है। आघात और बीमारी से बचाव, स्क्रीनिंग, निदान, उपचार, स्वास्थ्य संवर्धन और फिटनेस के लिए व्यायाम, गतिशीलता, जोड़-तोड़, इलेक्ट्रिकल और थर्मल एजेंटों और अन्य इलेक्ट्रो थेराप्यूटिक्स सहित शारीरिक तौर-तरीकों का उपयोग करना। फिजियोथेरेपिस्ट स्वतंत्र रूप से या एक बहु-विषयक टीम के हिस्से के रूप में अभ्यास कर सकता है और उसके पास स्नातक डिग्री की न्यूनतम योग्यता है।
- फिजियोथेरेपिस्ट 2264
- 4 **न्यूट्रीशियन साइंस प्रोफेशनल**  
 नोट: न्यूट्रीशियन साइंस प्रोफेशनल वह व्यक्ति है जो स्वास्थ्य पर भोजन और पोषण के प्रभाव को बढ़ाने, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, व्यक्तियों, समूहों, समुदायों के स्वास्थ्य को अनुकूलित करने के लिए बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए कार्यक्रमों का आकलन, योजना और कार्यान्वयन करने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करता है। खाद्य और पोषण विज्ञान, पोषण, आहार विज्ञान में प्रशिक्षण के साथ आबादी के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी ।
- (i) डायटिशियन 2265  
 (क्लीनिकल डायटिशियन, फूड सर्विस डायटिशियन सहित) 2265  
 (ii) न्यूट्रीशियनिस्ट (पब्लिक हेल्थ न्यूट्रीशियनिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रीशियनिस्ट सहित)
- 5 **आप्यथेलमिक साइंस प्रोफेशनल**  
 नोट: आप्यथेलमिक साइंस प्रोफेशनल वह व्यक्ति है जो आंख, संबंधित बीमारियों का अध्ययन करता है और आंख और दृश्य प्रणाली के विकारों के प्रबंधन में विशेषज्ञता रखता है, जो कि दायरे और जटिलता में सीमित है, जैसा कि कम से कम चार साल की स्नातक डिग्री के साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट वाले मेडिकल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। न्यूनतम दो साल के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कार्यक्रम के साथ आप्यथेलमिक असिस्टेंट/विजन टेक्नीशियन ।
- (i) ऑप्टोमेट्रिस्ट 2267  
 (ii) आप्यथेलमिक असिस्टेंट 3256  
 (iii) विजन टेक्नीशियन 3256
- 6 **ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल**  
 नोट: ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल वह व्यक्ति है जो लोगों को दैनिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए व्यवसाय के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित ग्राहक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें व्यावसायिक चिकित्सक जैसे पेशेवर शामिल हैं जो काम
- ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 226

करके इस परिणाम को प्राप्त करते हैं लोगों और समुदायों को उन व्यवसायों में शामिल होने की अपनी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है जो उनसे करने की अपेक्षा की जाती है, या अपने व्यावसायिक जुड़ाव को बेहतर समर्थन देने के लिए व्यवसाय या वातावरण को संशोधित करके। व्यावसायिक चिकित्सक स्वतंत्र रूप से या बहु-विषयक टीम के एक भाग के रूप में अभ्यास कर सकता है और उसके पास स्नातक डिग्री की न्यूनतम योग्यता है।

**7 कम्प्यूनिटी केयर, बिहेवरल हेल्थ सांइस एण्ड अदर प्रोफेशनलस**

**कम्प्यूनिटी केयर**  
 नोट : प्राइमरी एण्ड कम्प्यूनिटी केयर प्रोफेशनल वह व्यक्ति है जो क्षेत्र स्तर पर विशिष्ट समुदायों को स्वास्थ्य शिक्षा, रेफरल और अनुवर्ती, केस प्रबंधन और बुनियादी निवारक स्वास्थ्य देख-रेख और घर का दौरा सेवाएं प्रदान करता है और व्यक्तियों और परिवारों को नेविगेट करने में सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा प्रणाली और एक रेफरल नेटवर्क स्थापित करना।

- (i) इन्वाइरमेन्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर 2133
- (ii) ईकोलॉजिस्ट 2133
- (iii) कम्प्यूनिटी हेल्थ प्रमोटर्स 3253
- (iv) ऑक्यूपेशनल हेल्थ एण्ड सेफ्टी (इस्पेक्टर) 3257

**बिहेवरल हेल्थ सांइसेस प्रोफेशनल**  
 नोट: बिहेवरल हेल्थ सांइसेस प्रोफेशनल वह व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति की मानसिक भलाई, रोजमर्रा की जिंदगी में कार्य करने की उनकी क्षमता और स्वयं की अवधारणा से संबंधित भावनाओं, व्यवहार और जीवविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। "व्यवहारिक स्वास्थ्य" "मानसिक स्वास्थ्य" का पसंदीदा शब्द है और इसमें परामर्शदाता, विश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक और सहायक कार्यकर्ता जैसे पेशेवर शामिल हैं, जो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ सामाजिक और सामाजिक समस्याओं के जवाब में व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को परामर्श, चिकित्सा और मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करते हैं।

- (i) मनोवैज्ञानिक (पीडब्ल्यूडी के लिए आरसीआई के अंतर्गत आने वाले क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक को छोड़कर)
- (ii) व्यवहार विश्लेषक
- (iii) एकीकृत व्यवहार स्वास्थ्य परामर्शदाता 2634 2635
- (iv) रोग परामर्शदाता, मधुमेह शिक्षक, स्तनपान सलाहकार सहित स्वास्थ्य शिक्षक और परामर्शदाता 2635 2635 2635 3259 3259
- (v) क्लिनिकल सामाजिक सहित सामाजिक कार्यकर्ता, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता
- (vi) मानव इम्पूनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) परामर्शदाता या परिवार नियोजन परामर्शदाता
- (vii) मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यकर्ता

**अन्य देख-रेख पेशेवर**

- (i) पोडियाट्रिस्ट
- (ii) प्रशामक देख-रेख पेशेवर (iii) 2269 3259
- मूवमेंट थेरेपिस्ट (कला, नृत्य और 2269
- मूवमेंट थेरेपिस्ट या मनोरंजक थेरेपिस्ट सहित)

- 8 मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग एण्ड थेरप्यूटिक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल
- नोट: मेडिकल इमेजिंग एण्ड थेरप्यूटिक इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी प्रोफेशनलस में वह लोग शामिल होते हैं जो चोट, बीमारी और अन्य हानियों के निदान और उपचार के लिए शरीर संरचनाओं की छवियां बनाने के लिए रेडियोग्राफिक, अल्ट्रासाउंड और अन्य मेडिकल इमेजिंग उपकरणों का परीक्षण और संचालन करते हैं या विकिरण उपचार का प्रबंधन करते हैं और मरीजों की स्थिति की निगरानी करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट या अन्य चिकित्सा पेशेवर की देखरेख में चिकित्सा प्रौद्योगिकी, रेडियोलॉजी सोनोग्राफी, मैमोग्राफी, परमाणु चिकित्सा प्रौद्योगिकी, चुंबकीय संसाधन इमेजिंग, डोसिमेट्री या रेडियोथेरेपी में प्रशिक्षण के साथ।
- (i) मेडिकल फिजिसिस्ट 2111 3211  
(ii) न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट
- (iii) रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट [डायग्नोस्टिक मेडिकल रेडियोग्राफर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई), कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी), मैमोग्राफर, डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर]
- (iv) रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट  
(v) डोसिमेट्रिस्ट

- मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एण्ड फिजिशियन
- 9 एसोसिएट बायोमेडिकल एण्ड मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल

**फिजिशियन एसोसिएट या फिजिशियन असिस्टेंट**

नोट :फिजिशियन एसोसिएट या फिजिशियन असिस्टेंट वह व्यक्ति होता है जो रोगी की देखरेख में सहायता के लिए बुनियादी क्लीनिकल और प्रशासनिक कार्य करता है और उसे एक चिकित्सा मॉडल में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह चिकित्सक पर्यवेक्षण के साथ निवारक, नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएं करने के लिए योग्य और सक्षम हो।

कार्डियो-वैस्कुलर, न्यूरोसाइंस एण्ड पल्मोनरी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल

नोट :कार्डियो-वैस्कुलर, न्यूरोसाइंस एण्ड पल्मोनरी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनलस में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल और संचार प्रणाली का अध्ययन किया है और इसकी गहन समझ रखते हैं और उनसे संबंधित जटिल उपकरणों को संचालित करने की क्षमता भी रखते हैं और इसमें पेशेवर भी शामिल हैं। जैसे परफ्यूज़निस्ट, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट और स्लीप लैब टेक्नोलॉजिस्ट

रीनल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल

- (i) बायोमेडिकल इंजीनियर 2149  
(ii) मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजिस्ट फिजिशियन एसोसिएट्स 3211 3256

- (i) कार्डियो-वैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट 3259 3259  
(ii) परफ्यूज़निस्ट 3259 3259  
(iii) रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 3259  
(iv) इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) टेक्नोलॉजिस्ट और ईकोकार्डियोग्राम (ईसीएचओ) टेक्नोलॉजिस्ट  
(v) इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (ईईजी) और इलेक्ट्रोन्यूरोडायग्नोस्टिक (ईएनडी) और इलेक्ट्रोमोग्राफी (ईएमजी) टेक्नोलॉजिस्ट और न्युरोलेब टेक्नोलॉजिस्ट या स्लीप लैब टेक्नोलॉजिस्ट

नोट : रीनल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल एक ऐसा व्यक्ति है जो रोगी के लिए एक प्रभावी डायलिसिस थेरेपी सुनिश्चित करने के लिए डायलिसिस थेरेपी प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी से संबंधित है और इसमें बैचलर डिग्री वाले डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट जैसे पेशेवर शामिल हैं जो अनुमोदित तरीकों का पालन करते हुए एक कृत्रिम किडनी मशीन का संचालन और रखरखाव करते हैं।

डायलिसिस  
टेक्नोलॉजिस्ट  
टेक्नोलॉजिस्ट

थेरेपी  
या  
यूरोलॉजी

10 **हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हेल्थ एण्ड  
इंफॉर्मेटिक प्रोफेशनल**

नोट : हेल्थ एण्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोफेशनल वह व्यक्ति है जो स्वास्थ्य सेवाओं की कानूनी, पेशेवर, नैतिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड-रखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं और अन्य स्वास्थ्य देख-रेख सेटिंग्स में स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रसंस्करण, भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणालियों का विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन करता है। स्वास्थ्य देख-रेख उद्योग की संख्यात्मक कोडिंग प्रणाली के अनुरूप तरीके से स्वास्थ्य आवश्यकताओं और मानकों के लिए रोगी की जानकारी का वितरण और प्रसंस्करण, रखरखाव, संकलन और रिपोर्ट करना।

- (i) हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 3252 3252  
प्रोफेशनल (मेडिकल रिकॉर्ड 3252 3344  
विश्लेषक सहित)
- (ii) हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट  
टेक्नोलॉजिस्ट
- (iii) क्लिनिकल कोडर
- (iv) मेडिकल सेक्रेटरी एण्ड मेडिकल  
ट्रांसक्रिप्शनिस्ट

\*\*\*\*

राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव.

अनुसूची  
फॉर्म ए

नियम (6)7 देखें।

पहली नियुक्ति पर और कार्यालय छोड़ने के समय पेशेवर और वाणिज्यिक संलग्नता या भागीदारी का विवरण

क्र.सं.	रिश्ता	नाम	घोषणा की तिथि से पिछले तीन वर्षों में धारित व्यावसायिक पद, यदि कोई हो	वाणिज्यिक संलग्नताएं, घोषणा की तारीख से पिछले तीन वर्षों में आयोजित भागीदारी, यदि कोई हो
1	खुद			
2	जीवनसाथी			
3	आश्रित 1 -			
4	आश्रित 1 -			
*5	आश्रित 1 -			

\*यदि आवश्यक हो तो और पंक्तियाँ जोड़ें।

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

**फॉर्म बी**

{नियम (2)8 देखें}

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायी के पंजी में पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रपत्र

**A) व्यक्तिगत विवरण**

1. आवेदक का नाम) बड़े अक्षरों में(
2. पिता/पति का नाम:
3. मां का नाम:
4. जन्म की तारीख:
5. आयु) आवेदन तिथि के अनुसार:(
6. लिंग :पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर:
7. सामाजिक श्रेणी) :एसटी/एससी/ओबीसी/यूआर(
8. वैवाहिक स्थिति:
9. अधिवास:
10. वर्तमान पता:
11. स्थायी पता:
12. आधार संख्या:
13. मोबाइल नंबर:
14. ईमेल आईडी:
15. क्या आप सरकारी हैं ?कर्मचारी) हां/नहीं (यदि हां ,तो संगठन का विवरण प्रदान करें
16. अभ्यास वर्ष) यदि कोई हो: (
17. क्या आप एनआरआई हैं) :हां/नहीं ,(यदि हां ,तो विवरण प्रदान करें
18. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं) :हाँ/नहीं (यदि हाँ ,तो देश की नागरिकता का विवरण प्रदान करें

**B) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शैक्षिक संस्थान और पाठ्यक्रम विवरण**

19. विश्वविद्यालय/कॉलेज का नाम
20. संस्थान का पता
21. राज्य एवं जिला
22. संस्थान का प्रकार ) सरकारी/ निजी(
23. पाठ्यक्रम प्रकार) डिप्लोमा/डिग्री/पीजी/पीएचडी(
24. पाठ्यक्रम क्षेत्र
25. कोर्स का नाम
26. प्रवेश/नामांकन संदर्भ संख्या ,यदि कोई हो
27. प्रवेश का वर्ष:
28. उत्तीर्ण होने का वर्ष:
29. क्या शैक्षणिक संस्थान बंद है) हाँ/नहीं:(

**30. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख योग्यताओं से पहले/अन्य शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण:**

शैक्षणिक योग्यता	स्कूल/कॉलेज का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अनुक्रमांक	प्राप्त अंकों का विवरण) कुल अंकों या ग्रेड में से(
मैट्रिकुलेशन या समकक्ष					
सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष					
अन्य) यदि कोई हो(					

## 31. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख योग्यता का विवरण जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है

योग्यता का नाम	संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि (इंटर्नशिप के साथ)	प्रवेश एवं उत्तीर्ण होने की तिथि	नामांकन संख्या और रोल नंबर	अस्पताल/इंटर्नशिप संस्थान का नाम और पता	प्राप्त अंकों का विवरण (कुल अंकों या ग्रेड में से)

.32 कोई अन्य टिप्पणी/जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है।

## 33. पंजीकरण के लिए शुल्क के भुगतान का विवरण

## 34. अपलोड/संलग्न दस्तावेजों की सूची

- 10<sup>वीं</sup> अंक तालिका
- 12<sup>वीं</sup> अंक तालिका
- एलाइड और हेल्थकेयर पाठ्यक्रम अंतिम वर्ष की मार्कशीट
- शैक्षणिक संस्थान की एन.ओ.सी
- आईडी प्रमाण -आधार
- अधिवास प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र) यदि लागू हो(
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो) हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे के निशान के साथ(
- कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

आवेदन की तिथि:

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी :

- आवेदन पत्र ठीक से और साफ-सुथरा भरा जाना चाहिए।
- आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  - मूल डिग्री या डिप्लोमा या विश्वविद्यालय/या कॉलेज के डीन से अनंतिम प्रमाण पत्र कि आवेदक डिग्री के पुरस्कार के लिए पात्र है, प्रमाणित के साथ पंजीकृत प्रमाण पत्र के साथ भेजा जा सकता है।
  - पत्र की विधिवत सत्यापित प्रति, व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र की प्रति।) अनिवार्य घूर्णन इंटर्नशिप (कॉलेज के डीन द्वारा जारी किया गया।
  - मूल रूप में अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  - सामने का दृश्य दो हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
  - आवेदन के साथ दी गई दो स्वयं चिपकने वाली पर्चियों पर हस्ताक्षर।
  - कुल पंजीकरण शुल्क रु . पंजीकरण के लिए शुल्क के रूप में आवेदन के साथ -/2000 रुपये का भुगतान करना होगा।

\*\*\*

//दफ्तर के उपयोग के लिए//  
कार्यालय रसीद एवं आवेदक रसीद

- आवेदन संख्या
- आवेदन की तिथि
- आवेदन का तरीका
- आवेदक का नाम और पिता/पति का नाम
- कोर्स का प्रकार और नाम
- भुगतान की स्थिति-
- भुगतान का प्रकार
- दस्तावेज चेकलिस्ट - ठीक/अपूर्ण
- अपूर्ण दस्तावेजों का विवरण
- संभावित लक्ष्य जारी करने की तिथि
- कोई टिप्पणी
- परीक्षक का नाम और पदनाम

तारीख:

सील और हस्ताक्षर

**फॉर्म सी**  
**पंजीकरण का प्रमाणपत्र**  
**{नियम 10/9 और 11 देखें}**

अधिनियम 2021, की धारा (3) 33 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र  
प्रमाणपत्र संख्या। एमपीएसएनसी/एमसीएच - पाठ्यक्रम प्रकार कोड/पाठ्यक्रम कोड/रेफ. नं./ वर्ष

1. सहयोगी और स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवर का नाम:
2. पिता/पति का नाम:
3. जन्म की तारीख:
4. लिंग:
5. अधिवास:
6. पूरा आवासीय पता:
7. आधार
8. राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसाय परिषद् पाठ्यक्रमों के तहत योग्यता:
  - i. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख क्षेत्र
  - ii. उत्तीर्ण पाठ्यक्रम का नाम
  - iii. शिक्षण संस्थान द्वारा जारी नामांकन संख्या
  - iv. संस्था का नाम
  - v. पाठ्यक्रम कार्यकाल
  - vi. उत्तीर्ण होने का वर्ष
9. जारी करने की तारीख
10. वैधता

Photo with  
Sign and  
Thumb  
Impression

इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि यह अधिनियम 2021, की धारा (3) 33 के तहत जारी मध्यप्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् के रजिस्टर में व्यवसाय के उपरोक्त निर्दिष्ट विवरण की एक सच्ची प्रति है। प्राधिकरण के साथ सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् नीचे दिए गए निर्देशों के अधीन है।

1. सहयोगी एवं स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवर का पंजीकरण निर्धारित अवधि के लिए वैध होगा। सत्यापन अवधि के बाद पंजीकरण शून्य या अमान्य माना जाएगा।
2. सहयोगी और स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवर को सत्यापन अवधि समाप्त होने के बाद तत्काल प्रभाव से पंजीकरण का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करना होगा।
3. यदि पंजीकरण की मूल प्रति खो जाती है, चोरी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो पुलिस स्टेशन की एफआईआर प्रति के साथ कृपया परिषद् को सूचित करें।
4. सहयोगी और स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवर आवेदन के लिए निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने के अधीन डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
5. पंजीकरण न तो हस्तांतरणीय है और न ही पंजीकृत पेशेवर के किसी अन्य उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है।
6. पंजीकृत पेशेवर को अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में सचिव को तत्काल सूचना भेजनी चाहिए और इस संबंध में सचिव द्वारा उसे भेजी जाने वाली सभी पूछताछ का उत्तर भी देना चाहिए ताकि उसका सही पता पंजीकृत सहयोगी और स्वास्थ्य देख-रेख के रजिस्टर में विधिवत डाला जा सके। पेशेवर।
7. पते में परिवर्तन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
8. डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में शुल्क रु -/2000 . और नवीनीकरण प्रमाणपत्र के लिए रु -/3000 शुल्क देय है।

)मुहर(  
सचिव

भोपाल  
तारीख

\*\*\*

**पंजीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन की अस्वीकृति**

आवेदन संख्या एवं दिनांक :

की तिथि :

संदर्भ संख्या और दिनांक :

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् मान्यता प्रदान करने/मान्यता के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करती है:

(1)	सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान का नाम और पता	
(2)	आवेदन अस्वीकृत करने के कारण	

सचिव के हस्ताक्षर एवं नाम  
(कार्यालय मुहर)

\*\*\*

**पंजीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन रद्द करना  
आदेश**

- (a) आवेदन संदर्भ संख्या और दिनांक:  
(b) पंजीकृत सूचना संख्या एवं दिनांक:  
(c) सुनवाई/निरीक्षण की तिथि  
(d) क्या आवेदक ने लिखित में उत्तर प्रस्तुत किया है - हाँ/नहीं  
(e) तो प्रस्तुत सामग्री और दस्तावेजी साक्ष्य क्या हैं ?  
(f) क्या वे संतोषजनक हैं? हाँ/नहीं?  
(g) मामले में विचार हेतु बिन्दु  
(h) जाँच - परिणाम

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021, की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन के बाद, परिषद् पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर देती है।

दिनांक एवं स्थान

सचिव के हस्ताक्षर एवं नाम  
(कार्यालय मुहर)

एमपी अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल काउंसिल

\*\*\*

रजिस्टर में नाम की बहाली/पुनः प्रविष्टि के लिए आवेदन

को

सचिव

एमपीएचपी परिषद्

विषय : परिषद् के रजिस्टर में मेरे नाम की बहाली/पुनः प्रविष्टि हेतु अनुरोध - संबंध में  
संदर्भ : परिषद् आदेश संख्या और दिनांक।

\*\*\*

मैं, अधोहस्ताक्षरी, यहां गंभीरतापूर्वक और ईमानदारी से कहता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम निम्नलिखित योग्यता के संबंध में विधिवत पंजीकृत किया गया था:

योग्यता	पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	हटाने की तिथि
अतिरिक्त योग्यता	पंजीकरण संख्या & तारीख	हटाने की तिथि

मेरा नाम रजिस्टर से हटा दिया गया

- (a) नवीनीकरण शुल्क के भुगतान में चूक.  
(b) प्रसिद्ध चरित्र या दोषसिद्धि के लिए मेरे विरुद्ध शिकायत

चूंकि, मैंने नवीनीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है/शुल्क हटा दिया गया है या बंद कर दिया गया है, मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरा नाम रजिस्टर में बहाल/पुनः दर्ज किया जाए।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे प्रासंगिक दस्तावेज़ आपके रिकॉर्ड के लिए इसके साथ संलग्न हैं।

आवेदक के नाम और पते के साथ हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर) नाम और पते के साथ(

.1

.2

\*\*\*

**फॉर्म डी**  
**नियम (2)13 देखें**  
**आवेदन फार्म**

अधिनियम 2021, के नियम के तहत अतिरिक्त योग्यता/एस का पंजीकरण

1. पेशेवर का नाम:
2. प्राथमिक योग्यता पंजीकरण संख्या:
3. प्राप्त करने के वर्ष के साथ प्राथमिक पंजीकृत योग्यता:
4. रजिस्टर में दिया गया पता और फोन नंबर:
5. राज्य परिषद् जिसके साथ पहले पंजीकृत) यदि कोई हो: (
6. पिन कोड और फोन नंबर के साथ ब्लॉक कैपिटल में वर्तमान पता:
7. पिन कोड और फोन नंबर के साथ ब्लॉक कैपिटल में स्थायी पता:
8. आवेदित अतिरिक्त योग्यता का विवरण:

योग्यता का नाम	संस्थान/कॉलेज का नाम	विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम की अवधि )इंटर्नशिप के साथ(	अस्पताल/इंटर्नशिप संस्थान का नाम और पता	प्रवेश एवं उत्तीर्ण होने की तिथि

तारीख..... :।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

**घोषणा**

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियां सही हैं।  
 तारीख:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

)नाम( \_\_\_\_\_

**अतिरिक्त योग्यता के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र भरने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देश**

1. आवेदन पत्र ठीक से और साफ-सुथरा भरा जाना चाहिए।
2. एक गैर-वापसीयोग्य रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रत्येक योग्यता के लिए @ रु) -/2000 . दो हजार रुपये मात्र ( स्टेट काउंसिल फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन फंड ,भोपाल के पक्ष में ,भोपाल में देय ,शुल्क के रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए या ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
3. उम्मीदवार को संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा या स्नातकोत्तर योग्यता के अनंतिम प्रमाण पत्र की मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतियां भेजनी होंगी।
4. आवेदन सीधे इस कार्यालय को भेजा जाना है और सचिव ,एमपी स्टेट काउंसिल फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स ,भोपाल को संबोधित किया जाना है।

प्रमाणपत्र केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाएगा जिनके पास मान्यता प्राप्त बुनियादी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख योग्यता है और वाद में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता )योग्यताएं (प्राप्त की हैं।

\*\*\*

मेरे लिए  
}नियम 15 देखें{

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायों के लिए राज्य परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट  
वर्ष.....

1. परिचय
2. परिषद् का गठन
3. परिषद्
4. परिषद् के उद्देश्य
5. परिषद् के कार्य
6. सलाहकार परिषद् यदि कोई हो।
7. सलाहकार परिषद् की सिफारिशें
8. व्यावसायिक परिषदें
9. विभिन्न व्यावसायिक परिषदों की गतिविधियाँ
10. विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के अंतर्गत प्रत्येक पेशे के संबंध में पाठ्यक्रम और अभ्यास के दायरे का मानकीकरण
11. कार्य स्थानांतरण
12. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवरों का पंजीकरण
13. अपील
14. संस्थानों का प्रत्यायन और रेटिंग
15. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा प्रणाली का विकास) राज्य वितरण सहित(
  - (A) विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज
  - (B) संकाय शक्ति
  - (C) छात्र का नामांकन
  - (D) स्नातक छात्र
  - (E) रोजगार (ऑकडे) चालू वर्ष में कार्यबल में वृद्धि, रोजगार रहित छात्रों का प्रतिशत आदि।
  - (F) विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान विकास
  - (G) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा के विकास पर संक्षिप्त ऑकडे
16. निजी संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में सीटों के लिए शुल्क निर्धारण के लिए दिशानिर्देश
17. सामान्य प्रवेश परीक्षा
18. निकास-सह-लाइसेंसिंग परीक्षा
19. राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
20. स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देख-रेख के बुनियादी ढांचे के लिए मानव संसाधन सहित स्वास्थ्य देख-रेख का आकलन और इसके विकास के लिए रोड मैप
21. वेबसाइट
22. कानूनी मामले
23. जागरूकता
24. सूचना का अधिकार
25. वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखा और स्थापना
26. प्रकाशनों
27. मिश्रित

तारीख:

)सचिव(

एमपी स्टेट अलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल

)अध्यक्ष(

एमपी स्टेट अलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल

Bhopal the 14<sup>th</sup> March 2024

F-4-2-6-03-2023-1-MED-XVII.-In exercise of the powers conferred by Section 68(1) of the National Commission for Allied & Healthcare Professions Act, 2021, the Government of Madhya Pradesh hereby makes the following rules namely:-

**1. Short title, extent and commencement:**

- (1) These Rules may be called as the Madhya Pradesh Allied and Healthcare Professions Rules, 2024.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

**2. Definitions:**

1. In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Act" means the National Commission for Allied & Healthcare Professions Act, 2021.
- (b) "Annexure" means annexure appended to these rules
- (c) "Form" means a Form appended to these rules
- (d) "Allied and Healthcare Institution" means, an educational or research institution which grants diploma or undergraduate, postgraduate or doctoral degree or any other post degree certification in any allied and healthcare professional under the Act
- (e) "Allied and healthcare professional" means any allied health professional or healthcare professional under the Act.
- (f) "Allied health professional" includes an associate, technician or technologist who is trained to perform any technical and practical task to support diagnosis and treatment of illness, disease, injury or impairment, and to support implementation of any healthcare treatment and referral plan recommended by a medical, nursing or any other healthcare professional, and who has obtained any qualification of diploma or degree under this Act, the duration of which shall not be less than two thousand hours spread over a period of two years to four years divided into specific semesters.
- (g) "Allied and healthcare qualification" means a recognized diploma or degree possessed by an allied and healthcare professional through regular learning mode under this Act or any additional recognized course obtained thereafter.
- (h) "Autonomous Board" means the Autonomous Board constituted under sub-section (1) of section 29 of the Act.
- (i) "Central Register" means the Central Allied and Healthcare Professionals' Register maintained by the Commission under section 13 of the Act.
- (j) "Commission" means the National Commission for Allied and Healthcare Profession constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act.
- (k) "Healthcare professional" includes a scientist, therapist or other professional who studies, advises, researches, supervises or provides preventive, curative, rehabilitative, therapeutic or promotional health services and who has

obtained any qualification of degree under this Act, the duration of which shall not be less than three thousand six hundred hours spread over a period of three years.

- (l) "Member" means a Member of the Council, including the Chairperson and Members.
  - (m) "Notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notified" shall be construed accordingly;
  - (n) "Recognized categories" means any category of the allied and healthcare professionals specified in the Schedule;
  - (o) "Section" means a section of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021).
  - (p) "State Council" means a Madhya Pradesh Allied and Healthcare Council constituted under sub-section (1) of section 22 of the Act.
  - (q) "State Register" means the Madhya Pradesh Allied and Healthcare Professionals' Register maintained under section 32 of the Act.
  - (r) "Task shifting" means the process whereby specific tasks are moved, where appropriate to related allied and healthcare professionals specialized in those tasks, by reorganizing the health workforce efficiently for improved healthcare.
  - (s) "University" means a University defined under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and includes an institution declared to be a deemed University under section 3 of that Act.
2. The Rules shall mean and construed as the Rules made by the State Government and notified in the Madhya Pradesh Gazette.
  3. Unless and otherwise, the context provides for, the expression 'Council' shall mean, the Madhya Pradesh Allied and Health Care Council.
  4. All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

### **3. Constitution and Composition of Madhya Pradesh Allied and Healthcare Council:**

- (1) It shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the same name sue or be sued.
- (2) The Council shall exercise such powers and discharge such duties as may be laid down in Section-30 of the Act, the rules made under the Act and in these rules.
- (3) Once the State allied & healthcare Council is formed, the MP Para-Medical Council constituted under Madhya Pradesh Sah-Chikitsiye Parishad Adhiniyam 2000 shall be deemed to be dissolved.
- (4) Constitution of the Council: Soon after these Rules come into force, the State Government shall constitute the Council in terms of the provisions contained in Section-22 of the Act.

- (5) The State Council shall consist of the following, namely,-
- (a) A person of outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing a postgraduate degree in any profession of recognized category of allied and healthcare sciences from any University and having experience of not less than twenty-five years in the field of allied and health care sciences, out of which at least ten years shall be as leader in the area of allied and health care professions to be nominated by the State Government-**Chairperson**;
  - (b) One Director or Additional Director or Joint Director representing medical or health sciences in the State Government-ex-officio Member;
  - (c) Two persons not below the rank of Dean or Head of the Department from any medical colleges of the State Government-ex officio Members;
  - (d) President of the Autonomous Boards constituted by the State Council under sub-section (1) of section 29 of the act-ex officio Member
  - (e) Two persons representing each of the recognized categories specified in the Schedule to be nominated by the State Government having such qualifications and experience as may be prescribed by the State Government- Members; and
  - (f) Two persons, representing charitable institutions engaged in education or services in connection with any recognized category, to be nominated by the State Government having such qualifications and experience as may be prescribed by the State Government-Members.
- (6) The Chairperson of the State Council and Member nominated under clauses(e)and(f)of sub-section(3) of section 22 of the Act shall hold office for a term not exceeding two years from the date on which they enter upon their office and shall be eligible for re-nomination for a maximum period of two terms.
- (7) Resignation & Removal of member: Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 23 of the Act, the Chairperson of the State Council and Member nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of section 22 of the Act may-
- (a) Relinquish his office by giving in writing to the State Government notice of not less than three months ;or
  - (b) be removed from his office if he-
    - A). has been adjudged insolvent ;or
    - B). has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude ;or
    - C). has become physically or mentally incapable of acting as a Member ;or
    - D). has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member ;or
    - E). has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(c) No such Member shall be removed from his office under clause (D) or clause (E) of sub-section (b) of rule 7 unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(8) Cessation of membership & filling up of casual vacancy of member.

(a) A Member under clause(b) or clause(c) of sub-section (3) of section 22 of the Act, shall cease to be a Member of the State Council on his cessation to the service by virtue of which he was appointed as a Member of the State Council.

(b) The Chairperson or any other Member appointed under any casual vacancy in the State Council under sub-section(3) of section22 of the act, shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place he has been appointed.

**4. Qualification, experience and manner of selection of the Members of the Council.**

(a) The two members from each of the recognized categories as per Section 22 (3) (e) of the act shall be nominated by the Government.

a) No Institution shall be represented by more than one nominee in the Council at a time.

b) Qualification and experience: A person having an outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing requisite qualification in any profession of recognized category of allied and healthcare sciences from any UGC recognized University with requisite experience in the field of allied and healthcare sciences, out of which at least seven years shall be as a leader in the allied and healthcare professions.

(b) The two members as per Section 22 (3) (f) of the act shall be nominated by the State Government from

A). amongst the charitable institutions

B). which have been in operation for at least ten years

C). operating providing education or services in connection with any recognized category

D). preferably with a tertiary or super-specialty hospital engaged in direct delivery of affordable healthcare service and education.

E). No Institution shall be represented by more than one nominee in the Council at a time.

F). Qualification and experience: A person having an outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, out of which at least seven years shall be as a leader in the allied and healthcare professions discharging duties in the capacity of President or Vice President or Secretary of the charitable institution

- G). The member should not have conflict of interest by being member to the council
- H). The Charitable Institution should have its income or balance sheet audited by qualified auditors for the last 10 years.
- I). The institution should not be black listed or derecognized for any lapses anytime in the past.

**5. Salaries and allowances payable to, and other conditions of service of, Chairperson of the Council**

- (a) The salary payable to the Chairperson of the Council shall be Rs.2,00,000/- per month or as amended by the State Government from time to time.
- (b) Provided that where the Chairperson of the Council is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognized research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.
- (c) If the Chairperson of the Council is in service of the Central Government or a State Government, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him or sub-rule(a) above, whichever is higher and his tenure in the Council shall be 'transfer on deputation', in terms of prevalent rules of the State Government.
- (d) Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by Chairperson of the Council-
- The Chairperson of the Council shall file return of assets and liabilities in the manner as per prevalent rules or guidelines for employees of equivalent level in the State Government.
  - The Chairperson of the Council shall also declare their professional and commercial engagements or involvement on the first appointment and at the time of demitting office in Form-A as in the annexure to National Commission for Allied and Healthcare Professions Rules, 2021.
- (e) **Payment of office, Travelling and allowances to the members.**
- 1) The Members of the Council shall be entitled for a sitting fee of Rs.2000/- (Rupees two thousand only) per day, on the day of meeting officially convened.
  - 2) All the Members of the Council shall be paid travelling allowance and daily allowances in accordance with the rules as applicable from time to time for the Class-1 officers of the state government.

3) Every member of the council shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to travelling allowances(TA) and daily allowances (DA).

(f) **Leave:**

A. Chairperson:

- He/she shall be entitled for 30 days of leave per year
- The Government will be the leave sanctioning authority

B. In-service Members: are entitled as per their entitlement in their parent department

**6. Secretary & other employees to the Council:**

As per the section 28(1) and 28(2) of the Act, the Secretary and other employees# to the council shall be as follows:-

Sr. No.	Name of Post	Num ber of post	Salary (##)	Qualification	Mode of Appointment
1	Secretary*	01	15600-39100-7600 GP	a.) On deputation, from medical cadre on equivalent grade pay/ working in any government office on equivalent grade pay, Or b.) Through Promotion, after working on the post of Deputy Secretary for minimum 05 years	Deputation / Promotion
2	Deputy Secretary*	01	15600-39100-6600 GP	A. Through Direct Recruitment 1. Full-time Two year MBA degree in first division 2. Graduate in Computer science/PGDCA from a recognized University in first class. 3. Work experience of 10 years on Administrative post (Wherein minimum 5 years administrative experience in administrative/ managerial post in any Government Institution). OR b. Through Deputation, from medical cadre on equivalent grade pay/ working in any government office on the same grade pay. OR	Direct recruitment / Deputation / Promotion

				c. Through promotion, after Minimum three (03) years of experience at the post of Assistant Secretary	
3	Assistant Secretary*/ Administrative Officer*	01	15600-39100-5400 GP	Through Direct Recruitment 1. Full-time Two year MBA degree in first division 2. Graduate in Computer science/PGDCA from a recognized University in first class. 3. Work experience of 07 years at Administrative post (out of which minimum 04 years in any Government organization at administrative position) OR b) Through Deputation, from medical cadre on equivalent grade pay/ working in any government office on the same grade pay.	Direct recruitment / Deputation
4	Account / Finance Officer*	01	15600-39100-5400 GP	a.) Through Direct Recruitment 1. Graduate in Commerce Stream. 2. Diploma in Computer Science / DPGDCA from any recognized University 3. Mandatory to have Certification in Tally Software 4. Minimum 08 years of experience in the field of accounts and finance as assistant account officer or equivalent post(out of which minimum 05 years in any government organization in the field of Finance / Accounting) OR b.) Through Deputation from state government or any autonomous / statutory body, working on the same grade pay.	Recruitment / Deputation

5	Consultant (Project Management)**	01	Upto INR 150K per Month	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BE &amp; MBA from any recognized institution/ university</li> <li>2. Minimum 07 years of experience out of which minimum 03 years of experience in Government Sector.</li> </ol>	Outsource/ Samvida
6	Consultant (Subject Matter Expert)**	01	Upto INR 150K per Month	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MBA/MSW from any recognized institution/ university</li> <li>2. Minimum 07 years of experience out of which minimum 03 years of experience in Government Sector.</li> </ol>	Outsource/ Samvida
7	Consultant (Change Management)**	01	Upto INR 150K per Month	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MBA/MSW from any recognized institution/ university</li> <li>2. Minimum 07 years of experience out of which minimum 03 years of experience in Government Sector.</li> </ol>	Outsource/ Samvida
8	Consultant (Finance Management)**	01	Upto INR 150K per Month	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CA/ICWA/MBA Finance from any recognized institution/ university</li> <li>2. Minimum 07 years of experience out of which minimum 03 years of experience in Government Sector.</li> </ol>	Outsource/ Samvida
9	Consultant (Information Tech.)**	01	Upto INR 150K per Month	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BE/MCA/MBA from any recognized institution/ university</li> <li>2. Minimum 07 years of experience out of which minimum 03 years of experience in Government Sector.</li> </ol>	Outsource/ Samvida
10	Consultant (Procurement Management)**	01	Upto INR 150K per Month	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BE/MBA from any recognized institution/ university</li> <li>2. Minimum 07 years of experience out of which minimum 03 years of experience in Government Sector.</li> </ol>	Outsource/ Samvida
11	Office Assistant**	10	Upto INR 25K per Month	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Graduate in any discipline and PGDCA from any recognized University / CPCT qualified.</li> <li>2. Minimum 05 years of experience in any Govt./Semi-</li> </ol>	Outsource/ Samvida
				Govt./Autonomous Organization	

12	Computer Operator**	10	As per the MP State govt, Rule	Higher Secondary / 12 <sup>th</sup> Pass out form any recognized board with COPA/DCA qualified and minimum 03 years of experience in any Govt./ Semi-Govt./Autonomous Organization	Outsource/ Samvida
13	Class-IV Worker**	12	As per the MP State govt, Rule	As per MP State govt, Rule	Outsource

(\*) salary and allowances of permanent employees (e.g. Secretary, Dy. Sec. etc.) shall be regulated in accordance with the terms of prevalent rules of the State Government.

(\*\*) terms of employment of outsource/contractual employees shall be regulated in accordance with the terms of prevalent rules of the State Government.

(#)the employees of the Council shall be paid travelling allowance and other allowances in accordance with the rules as applicable from time to time, and duly approved by the secretary.

(##)As per the Section 51(3) of NCAHP Act, 2021, a provision of funds shall be made for the utilization of all expenses ( including the Salary and Remuneration of the Staff) of State Council incurred in discharge of its functions..

#### 7. Maintenance of registers:

- (1) Separate Form of Register shall be maintained for each Allied & healthcare Professional declared as such by the Government.
- (2) The Form of Register shall be maintained electronically.
- (3) Secretary of the Council is the custodian of the registers and verify the same by the end of the each month
- (4) The Secretary of the Council shall issue a Certificate of Registration in the prescribed Form- C appended to these rules on entering the particulars in the register.
- (5) If the original Certificate of Registration is lost, a candidate shall apply for a duplicate certificate through the institution from which he obtained training along with the production of documentary evidence for loss of original certificates and with the payment of fee as prescribed by MP Allied & Healthcare Council from time to time. The word "DUPLICATE" shall be clearly printed across the Certificate of Registration (Duplicate) in the same Form-C
- (6) Where the address of any Allied & Healthcare Professional found to be incorrect subsequently, the Secretary shall write a registered letter to him with acknowledgement due at his last known address available in the register and ask him to furnish his correct address. The Secretary may also make other endeavors to ascertain the correct address.
- (7) If no information regarding the correct address is received from the Professional or from any other authentic source, the word "Correct address not found" shall be entered in the address column of the register against the name of the Professional.
- (8) Where authentic information is available that a Professional is dead, the Secretary shall delete his name from the register concerned.

- (9) All persons registered by the Council under whatever Degree/ Diploma or Certificate are legally qualified for the practice as Allied & Healthcare Professional.
- (10) Every person shall apply to the Secretary to the Council, one month before the due date for renewal of his Registration along with the payment of fee as prescribed by MP Allied & Healthcare Council from time to time.
- (11) If application for renewal is received after due date, his name is liable for removal from the registrar. Unless the fine prescribed along with the renewal fees is paid to the Council, his/her name will not be restored/reentered in the register.

**8. Conduct of Business of the Council:**

- (1) The Chairperson shall chair all meetings of the Council.
- (2) The Chairperson shall decide and intimate the venue and manner of the meeting
- (3) Adjournment for want of quorum :-
- a) The quorum of the meeting shall be one-half of the total number of the members of the Council including Chairperson. If at any time appointed for a meeting or during the course of any meeting or during the course of any meeting, a quorum is not present, the meeting shall be adjourned, and if a quorum is not present, on the expiration of thirty minutes from such adjournment, the meeting shall stand adjourned to such future date and time as the Chairperson of the Council may appoint.
  - b) Quorum for special meeting shall be one-third of the total members of the Council, including Chairperson.
- (4) Details of Conduct of business:
- a) Every matter raised by a member shall be determined on a motion moved by the member duly seconded and put to the Council by the Chairperson.
  - b) When a motion has been moved and seconded and put to the Council by the Chairperson, it may be discussed as a question to be resolved either in the affirmative or in the negative or any member may move an amendment to the motion
  - c) Provided that the Chairperson shall not allow an amendment to be moved which, it had been a substantive motion, would have been inadmissible considering is beyond the scope of functions of the Council.
  - d) Any motion or amendment standing in the name of a member who is absent from the meeting may be brought forward by another member with the permission of the Chairperson.
  - e) Amendment to Motions :- When an amendment to any motion is moved and seconded or when two or more such amendments are moved and seconded, the Chairperson shall decide whose motion shall be moved and the other motion or motions shall thereupon be decided to be withdrawn.
  - f) Scope of amendments :-
    - An amendment shall be relevant to, and with the scope of, the motion to which it is proposed

- An amendment may not be moved that negates the original motion.
- The Chairperson may refuse to put to the Council an amendment which in his opinion is not relevant to the motion
- Form of Amendments :- A motion may be amended by -
- The omission, insertion or addition of words, or
- The substitution of words for any of the original words.

**g) Debate**

- When a motion or amendment is under debate, no proposal with reference thereto shall be made other than -
- an amendment of the motion or of the amendment as the case may be
- a motion for amendment of the debate on the motion or amendment either to a specified date and hour or sine die
- a motion for the closure, namely a motion that the question be now put.
- a motion that the Council instead of proceeding to deal with the motion do pass to the next item on the program of the business :Provided that no motion of the nature shall be moved or seconded by a member who has already spoken to the question then before the meeting. Provided further that a motion referred for closure or passage to next item shall be moved without any speech.
- It shall be the discretion of the Chairperson to accept or refuse a proposal for the adjournment of the debate on the motion or amendment.
- Upon accepting the closure motion, the Chairperson shall put the substantive motion or amendment to vote after allowing the mover the right to reply.

**h) Withdrawal of motion :-** A motion or an amendment which has been moved and seconded shall not be withdrawn save with the leave of the Council which shall not be deemed to be granted, if any member dissents from granting of leave.

**i) Discussion by Members :-** When a motion has been moved and seconded, members other than the mover and the seconder may speak on the motion in such order as the case may be, and speak on the motion in such order as the Chairperson may direct :Provided that the seconder of a motion or of an amendment may, with the permission of the Chairperson, confine himself to seconding the motion or amendment as the case may be, and speak thereon at any subsequent stage of the debate.

**j) Right of reply of the mover :-**

- The mover of the motion and if permitted by the Chairperson, the mover of any amendment, shall be entitled to a right of final reply and no other member shall speak more than once to any debate except with the permission of the Chairperson, for the purpose of making a personal explanation or of putting a question to the member then addressing the Council:

- Provided that a member may at any stage of the debate may raise a point of order substantially incorporating therein a point of law, or a statutory procedure, but shall not be allowed to make any speech: Provided further that a member who has spoken on a motion may speak again on an amendment subsequently moved to the motion.
- k) Voting on Motion: - When any motion involving several points has been discussed, it shall be in the discretion of the Chairperson to divide the motion and put each or any point separately to vote as he may think fit
- l) Voting on amendment to Motion :-
- An amendment to a motion shall be put to vote.
  - If there are more amendments than one to a motion, the Chairperson shall decide the order in which they shall be taken up.
  - Voting shall ordinarily be by show of hands, but it may be by ballots in case a demand to that effect is made by not less than three members
  - The result of the votes shall be announced by the Chairperson.
  - In the event of equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote
- m) Adjournment of meetings :- The Chairperson may if he deems necessary at any time, adjourn any meeting to any future date or to any hour of the same day stating the reasons thereof
- n) Wherever a meeting is adjourned to a future date, the Secretary shall send notice of the adjourned meeting to all the members.
- o) When a meeting has been adjourned to a future date and the Chairperson changes it to any other date for compelling reasons, the Secretary shall communicate the said change to each member.
- p) At a meeting adjourned to a future date any motion standing over from the previous day shall, unless the Chairperson otherwise directs, take precedence over other matters on the agenda.
- q) Either at the beginning of the meeting or after conclusion of the debate on a motion during the meeting, the Chairperson may suggest a change in the order of business on the agenda and if the Chairperson agrees such a change shall take place.
- r) No matter which had not been on the agenda of the original meeting shall be discussed at an adjourned meeting.
- s) The same quorum shall be necessary for an adjourned meeting as for the ordinary meeting
- t) Points of Order :-
- The Chairperson shall decide all the points of order or disputes which may arise in any meeting.

- If any question arises with reference to procedure in respect of a matter for which these rules have no provision, the Chairperson shall decide the same.
- Authorized persons to attend Council meetings:- In the meetings of the Council, no person other than the members, officers and employees of the Council, or a person eligible as per sub-section (2) of Section 10 of the Central Act, shall be present except with the prior permission or special invitation of the Chairperson.

**9. Seal of the Council:** The Council shall have a seal. The Secretary shall sign every instrument to which seals to be affixed.

**10. Fees:** The following fees shall be payable to the Council by the Allied & Healthcare Professional and Allied & Health care Institutions for various purposes through online payment portal on a nationalized bank in favor of the "The Madhya Pradesh Allied & Healthcare Council" and submit to the Secretary of the Council.

**11. Fees for registration in the state register under sub - section (1) of section 33 :-**

- 1) The Council shall maintain the Madhya Pradesh Allied and Healthcare Professional Register, that shall be online and live.
- 2) The applicant shall fill the application as per Form-B or a format designed by the council for the issuance of the certificate of registration
- 3) The registration fee shall be Rs.3000/- or as decided by the councils from time to time payable in favor of, Madhya Pradesh Allied and Healthcare Council fund, along with the application.

**12. Form of certificate of registration under sub - section (3) of section 33 :-**

A Certificate in Form C annexed to these rules or as modified by the council shall be issued by the Secretary under his seal.

**13. Fees and form for duplicate certificate under section 34.-**

- (1) A Certificate in Form C annexed to these rules or as modified by the council shall be issued by the Secretary under his seal.
- (2) In case of issuance of duplicate certificate a fee of Rs 500/- or as decided by the council from time to time will be chargeable in favor of the, Madhya Pradesh Allied and Healthcare Council fund.

**14. Fee and the manner of payment of such fee under sub-section (1) section 35.**

- (1) A renewal certificate in Form C annexed to these rules or as modified by the council shall be issued by Secretary under his seal.
- (2) In case of issuance of renewal Certificate a fee of Rs. 3000/- (Three thousand) or as decided by the council from time to time will be chargeable in favor of, MP allied and Healthcare Council fund.

**15. Fee for the restoration of name in the state register under proviso to subsection (2) of section 35 .**

In case of removal of name of defaulter under provision to sub-section (2) of section 35, the name so removed may be restored to the said register on payment of Rs.5000/- (Five Thousand) or as decided by the council from time to time, which shall be paid in favor of, MP allied and Healthcare Council fund.

**16. Fee for restoration of name in the state register under section 37.**

1) In case of restoration of name of a person in the state registered of fee of Rs. 10000 (Ten thousand) or as decided by the state council will be chargeable in favor of, MP allied and Healthcare Council fund.

2) Form, Manner and fees of application for additional entry in State register:-

i. Application for registration of additional qualification in the State Allied Healthcare Professionals register may be submitted online to the State Council.

ii. A fee of Rs. 2000 (Two Thousand) or as decided by the council from time to time for each qualification will be chargeable in favor of MP Allied Healthcare Council fund.

Copy of additional qualification (duly attested degree or diploma) for which additional entry is sought shall be sent along with the application.

1) A certificate in form-D or as modified by the council shall be issued by the secretary under his seal.

**17. The manner of application of fund for expenses incurred in discharge of the functions of State council under subsection (3) of section 51.**

The fund referred to in subsection (1) of section 51 shall be applied for the expenses of the state council incurred in discharge of its functions for the purposes of the Act/State Council, in such manner as decided by the state council in its meeting.

**18. Form and time for preparing annual report under section 53.**

1) At the end of a period of twelve months ending with the 31<sup>st</sup> march of each year, the council shall prepare the following financial statement along with necessary schedules, notes on accounts significant accounting policy in accordance with the notes and instructions for compilation of financial statement prescribed by state government.

- a. Balance sheet
- b. income and expenditure account
- c. Receipt and payment account

2) The annual financial statement shall be approved and adopted by the council and for the purpose of authentication, be signed by the chairperson and Secretary of the council

3) The approved annual financial statement of the council shall be audited and presented to the council in the meeting every six month of the end of the financial year.

- 4) The council shall prepare once in every year an annual report in respect of the matters specified in form E of the scheduled annexed to the rules.
- 5) The Council shall submit annual report to the state government by 31<sup>st</sup> October of every year in soft and hard copy to the Principal Secretary/ Secretary Medical Education Department of MP Government.

### **Miscellaneous**

#### **(Under Section - 68 - (N))**

#### **1. Constitution and Functions of Autonomous Board**

- i. The state council shall by notification constitute the following Autonomous Boards for regulating the allied and Healthcare professionals, namely -
  - a. Under graduate Allied and Healthcare Education Board
  - b. Post graduate Allied and Healthcare Education Board
  - c. Allied and Healthcare Professions Assessment and Rating Board, and
  - d. Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board.
- ii. The autonomous board constituted as mentioned above shall consist of a President and 03 members from each recognized category and shall be appointed by state government.
- iii. Under graduate Allied and Healthcare Education Board and Post graduate Allied and Healthcare Education Board shall determine standards of allied and Healthcare education at the graduate, postgraduate level and super specialty level, develop competency based on dynamic curriculum content, reviewing institutional standards against norms, faculty development, approval of course of recognized qualification and other functions as entrusted by the State Council for Under Graduate Education and Post Graduate Education.
- iv. The Allied and Healthcare Professions Assessment and Rating Board shall determine the procedure for the assessment and rating of allied and Healthcare institutions by providing for inspection of institutions to grant permission for establishment of new allied and Healthcare institutions and seat capacity, empaneling assessors, imposing warnings or fines, recommend for withdrawal of recognition of institutions and any other function as entrusted by State Council to ensure maintenance of minimum essential standards.
- v. The Allied and Healthcare Profession Ethics and Regulation Board shall maintain online and live State Registers of all licensed allied and Healthcare practitioners in the State, regulate the professional conduct and promotion of ethics and undertake any other function as entrusted by the State Council.
- vi. The Under graduate Allied and Healthcare Education or Post graduate Allied and Healthcare Education or Allied and Healthcare Professions Assessment and Rating or Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration shall perform such other functions as may be specified by regulations.

### **vii. Qualification and experience**

- a). The President or member of autonomous board shall be a person possessing Graduate/Postgraduate degree in any Profession of recognised category of Allied and Healthcare science with experience of not less than 10 years in the field, out of which at least three years shall be as a leader in the allied and Healthcare professions and having an outstanding ability, proven administrative capacity and integrity
- b). The President and a member of the board shall be a registered professional of respective category.

viii. Tenure : The tenure of the president and member of the board shall be 05 years from the date of joining.

## **2. Constitution of Advisory Board**

The State Council shall by notification constitute Professional Advisory Board for every recognized category and shall consist of President and members, not less than four and not exceeding seven, representing each profession in recognized category.

### **A i). Qualification and experience**

The President or member of advisory board shall be a person possessing degree in any Profession of recognized category of Allied and Healthcare scheme with experience of not less than 10 years in the field, out of which at least three years shall be as a leader in the allied and Healthcare professions and having an outstanding ability, proven administrative capacity and integrity

- ii). The President and a member of the board shall be a registered professional of respective category.
- iii). Tenure -The tenure of the president and member of the board shall be 05 years from the date of joining.

### **B. Functions of Advisory Board**

The advisory board as may be necessary to examine the issues relating to one or more recognized categories and to recommend the state council and also to undertake any other activity as may be authorized by the state council

## **3. Offences and punishments**

A. If any person whose name is not for the time being entered in the Central Register or a State Register falsely represents that it is so entered or uses in connection with his name or title any words or letters to suggest that his name is so entered, he shall be punished on the first conviction with a fine which may extend to Rs.50,000, and on any subsequent conviction with imprisonment which may extend to 6 months or with fine not exceeding one lakh rupees or with both.

### **B. If any person -**

1. not being a person registered in the Central Register or a State Register takes or uses the description of an Allied and Healthcare professional, or

2. not possessing an allied and Healthcare qualification under this act, uses a degree or a diploma or a license or an abbreviation indicating or implying such qualification, shall be punished on first conviction with fine which may extend to one lakh rupees, and on any subsequent conviction with imprisonment which may extend to one year or with fine not exceeding two lakh rupees or with both.

3. If any person whose name has been removed from Central Register or a State Register, he shall surrender forthwith his certificate of registration or certificate of renewal, as the case maybe, or both, failing which he shall be punishable with fine which may extend to Rs.50,000 and in case of a continuing offence with an additional fine which may extend to Rs.5000 per day after the first day during which the offence continues.

4. Whoever contravenes any of the provisions of this act or any rules or regulations made thereunder shall be punished with imprisonment which shall not be less than one year but which may extend to 3 years or with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees or with both.

#### 4. Form, manner, particulars, and fees for scheme for establishment of new allied and Healthcare institution, new courses of study etc.-

- 1) All applications under this Scheme shall be submitted to the Secretary of Council
  - 2) Eligibility Criteria: The following organizations shall be eligible to apply for permission to set up an allied and Healthcare professions college, namely:-
    - (a) Central Government, State Government or Union territory;
    - (b) A University;
    - (c) An autonomous body promoted by Central and State Government by or under a Statue for the purpose of medical education;
    - (d) A society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or corresponding Acts in States;
    - (e) Companies registered under company act may also be allowed to open allied and healthcare colleges. Permission shall be withdrawn if the colleges resort to commercialization.
  - 3) Qualifying criteria: The eligible persons shall qualify to apply for permission to establish an institution if the following conditions are fulfilled :-
    - a) The institution must have university affiliation
    - b) The institution fulfils the basic standards set by the provision of this Act to be specified by the council through regulations.
    - c) The institution has to obtain an essentiality certificate from the State Government indicating the need for the specific course/ courses, in the manner as specified by the Council through regulations.
- (3)Scheme form and procedures:
- I. Part I- shall contain the following particulars about the person namely-
    - (a) Status of the applicant in terms of the eligibility criteria

(b) Professional courses opted in the institution/ college

(c) Basic infrastructural facilities, managerial and financial capabilities of the applicant (Balance sheets for the last three years)

II. Part II- shall contain the following.-

(a) Name and address of the institution or college

(b) Educational programme -

i. Proposed courses

ii. Proposed annual intake of students - not more than 50 for Diploma courses, 50 for bachelor courses, 15 for master courses (each specialty)

iii. Admission criteria and method of admission - As Mentioned in the University Ordinance

iv. department wise and year wise curriculum of studies - As Mentioned in the University Ordinance and syllabus

(c) Reservation of seats - According to Madhya Pradesh Govt rules prevailing from time to time.

(d) Faculty and staff - Department-wise and year-wise requirement -

i. Required teaching staff year wise for 50 intake

**A-Required Post**

No	Name of Post	Diploma	Degree	Post Graduate
1	Principal		1	
2	Professor	-		1
3	Associate Professor	-	1	1
4	Assistant Professor	2	2	2
5	Demonstrator / Tutor	2	2	2

**B- Required Qualification for Teaching Post**

No	Name of Post	Diploma	Degree	Post Graduate
1	Principal	Post Graduate in medical field from concerned stream or Post Graduate in paramedical field is compulsory, 10 years academic experience in a recognised institution	Post Graduate in medical field from concerned stream or Post Graduate in paramedical field is compulsory, 10 years academic experience in a recognised institution	Post Graduate in medical field from concerned stream or Post Graduate in paramedical field is compulsory, 10 years academic experience in a recognised institution
2	Professor	Post Graduate in medical field from concerned stream or Post Graduate in paramedical field is compulsory, 07 years academic experience in a recognised institution	Post Graduate in medical field from concerned stream or Post Graduate in paramedical field is compulsory, 07 years academic experience in a recognised institution	Post Graduate in medical field from concerned stream or Post Graduate in paramedical field is compulsory, 07 years academic experience in a recognised institution

3	Associate Professor	Graduate in medical field or Post Graduate in paramedical field from concerned stream is compulsory, 05 years academic experience in a recognised institution	Graduate in medical field or Post Graduate in paramedical field from concerned stream is compulsory, 05 years academic experience in a recognised institution	Graduate in medical field or Post Graduate in paramedical field from concerned stream is compulsory, 05 years academic experience in a recognised institution
4	Assistant Professor	Graduate in medical field or Post Graduate in paramedical field from concerned stream is compulsory, 03 years academic experience in a recognised institution	Graduate in medical field or Post Graduate in paramedical field from concerned stream is compulsory, 03 years academic experience in a recognised institution	Graduate in medical field or Post Graduate in paramedical field from concerned stream is compulsory, 03 years academic experience in a recognised institution
5	Demonstrator / Tutor	Graduate in medical field or Graduate in paramedical field from concerned stream is compulsory, 02 years academic experience in a recognised institution	Graduate in medical field or Graduate in paramedical field from concerned stream is compulsory, 02 years academic experience in a recognised institution	Graduate in medical field or Graduate in paramedical field from concerned stream is compulsory, 02 years academic experience in a recognised institution

**C-Required Post for non-teaching staff**

No	Name of Post	Qualification	Number
1	Clerk	Graduation and Hindi and English typing complete knowledge of computer	02
2	Librarian	Graduation in Library and diploma holder is compulsory	01
3	Lab Assistant	Higher Secondary Pass	01 for each Lab
4	Watchman / Peon /Sweeper	Class 8 <sup>th</sup> Pass	01 Each
5	Driver	Class 8 <sup>th</sup> Pass and holding valid commercial driving license issued by competent authority	01 for each vehicle

**D- Required Post for Hostel staff**

No	Name of Post	Qualification	Number
1	Warden	Graduate in Home Science / House Keeping or Diploma Holder	02
2	Cook	Class 8 <sup>th</sup> Pass	02 (per 50 students)
3	Watchman / Peon /Sweeper	Class 8 <sup>th</sup> Pass	01 Each

(g) Institute Infrastructure – Plan, Layout and elevation and floor wise are calculation

**A-Academic (Administrative & Academic) Building**

No.	Name of Building	Built-up Area		
		Diploma	Degree	Post Graduate

1	Principal Cell / Nodal Officer	350 sq ft	350 sq ft	350 sq ft
2	Head Of Department / Professor Room	350 sq ft	350 sq ft	350 sq ft
3	Staff Room (Academic)	500 sq ft	500 sq ft	500 sq ft
4	Office Section Administrative Officer / General Branch / Accounts Branch / Establishment	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft
	Branch/Student Branch/Computer Branch /Sports Branch/Confidential Records/Examination Deoartment			
5	Conference Room	250 sq ft	400 sq ft	400 sq ft
6	Teaching Room 1000 Sq Ft.	03 Rooms	04 Rooms	02 Rooms
	Per Room			
7	Hall	350 sq ft	350 sq ft	350 sq ft
8	Anatomy Lab	1500 sq ft	1500 sq ft	1500 sq ft
9	Physiology Lab	1500 sq ft	1500 sq ft	1500 sq ft
10	Library	1000 sq ft	2000 sq ft	2000 sq ft
11	Computer Laboratory	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft
12	Pantry & Canteen	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft
13	Common Room (Separate For Boys And Girls)	500 sq ft	1200 sq ft	1200 sq ft
14	Water Cooler for Drinking	200 sq ft	200 sq ft	200 sq ft
	Water			
15	Toilet (Toilet/Wash- Basin) For Students Male	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft
16	Toilets (Toilet/Wash Basin) For Students (Female)	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft

Note: there shall be no restriction on conduction of concerning course wise and shift wise classes.

#### B- Academic Building

No.	Building Room name	Built up area
01	Hostel Room	200 sq-ft per 2 students
02	Bathroom	One for per 2 students
03	Toilet	One for per 2 students
04	Guest Room	200 sq-ft minimum one room
05	Store	800 sq-ft
06	Dining Hall	10 sq-ft per students
07	Kitchen & store room	500 sq-ft each
08	Warden room / office	200 sq-ft per warden

Note: Sufficient space should be available for parking

#### III. Part III

- a. Name and Address of the existing hospital
- b. Details of the hospital -

- i) Diploma/Degree/PG courses:- Own hospital / attached hospital with 100 beds and related department is mandatory. Students: patient ratio in hospital and OPD should be 1:3. In case of an attached hospital there

should be a maximum distance of 25 KM from the academic block of the college. The college must have its own/tie up with at least two PHCs/NGO/Special Schools for community training.

**Application Fee:** The institution shall pay Rs. Eighty thousand/course for Diploma, Rs. One Lac/course for Degree & Rs. One Lac Fifty thousand /course for PG or as per the fee decided by MP Allied & Healthcare Council at the time of submission of application which shall be payable in favor of MP Allied and Healthcare Council Fund.

A Bank Guarantee of Rs. Three Lakhs upto 3 Course, Rs. Five Lacs upto ten course and Rs. Two lacs for each course above ten courses, to be submitted with application in the office of MP allied and Healthcare Council.

5. The courses mentioned under Section 2 (r) of National Commission for Allied and Healthcare Profession Act, 2021 as enclosed in schedule which are reproduced as follows:-

Serial Number	Recognized Category	Allied and Healthcare Professional	ISCO Code
-1	-2	-3	-4
1	<p>Medical Laboratory and Life Sciences Life Science Professional</p> <p>Note: Life Science Professional is a person who has knowledge of application of research on human and other life forms, their interactions with each other and the environment, to develop new knowledge, and solve human health and environmental problems and who works in diverse fields such as bacteriology, biochemistry, genetics, immunology, pharmacology, toxicology and virology and who collect, analyse and evaluate the experimental and field data to identify and develop new processes and techniques among others.</p> <p>Medical Laboratory Sciences Professional</p> <p>Note: Medical and pathology laboratory professional is a person who performs clinical test on specimens of bodily fluids and tissues in order to get information about the health of a patient or cause of death and having formal training in medical laboratory technology or related field, which includes testing and operating equipment such as spectrophotometers, calorimeters and flame photometers for analysis of biological material including blood, urine and spinal fluid.</p>	<p>(i) Biotechnologist</p> <p>(ii) Biochemist (non-clinical)</p> <p>(iii) Cell Geneticist</p> <p>(iv) Microbiologist (non-clinical)</p> <p>(v) Molecular Biologist (non-clinical)</p> <p>(vi) Molecular Geneticist</p>	2131
2	<p>Trauma, Burn Care and Surgical/ Anesthesia related technology</p> <p>Trauma and Burn Care Professional</p>	<p>(i) Cytotechnologist</p> <p>(ii) Forensic Science Technologist</p> <p>(iii) Histotechnologist</p> <p>(iv) Hemato Technologist</p> <p>(v) Medical Lab Technologist</p>	3212

Note: Trauma and Burn Care Professional is a person who provides advisory, diagnostic, curative and preventive medical services more limited in scope and complexity than those carried out by a medical doctor including emergency and burn care technologist who work autonomously, or with limited supervision of medical doctors and apply advanced clinical procedures for treating and preventing injuries and other physical impairments.

**Surgical and Anaesthesia-related Technology Professional**

Note: Surgical and Anaesthesia-related Technology professional is a person who is a member of a multi-disciplinary team in the operation theatres, who prepares and maintains an operating theatre, assists the anaesthetist and surgical team during peri-operative period and provides support to patients in the recovery room and the main role includes the set up, check, and maintains anaesthesia equipment, preparation of operation room and table, management of the central sterile services department functions, assistance in emergency situations and disaster preparedness and support of the surgeons and anesthetists in any other related clinical area.

(i) Advance Care Paramedic	2240
(ii) Burn Care Technologist	3258
(iii) Emergency Medical Technologist (Paramedic)	

(i) Anaesthesia Assistants and Technologists	3259
(ii) Operation Theatre (OT) Technologists	3259
(iii) Endoscopy and Laparoscopy Technologists	

**3 Physiotherapy Professional**

Note: Physiotherapy Professional is a person who practices physiotherapy by undertaking comprehensive examination and appropriate investigation, provides treatment and advice to any persons preparatory to or for the purpose of or in connection with movement or functional dysfunction, malfunction, disorder, disability, healing and pain from trauma and disease, using physical modalities including exercise, mobilization, manipulations, electrical and thermal agents and other electro therapeutics for prevention, screening, diagnosis, treatment, health promotion and fitness. The physiotherapist can practice independently or as a part of a multi-disciplinary team and has a minimum qualification of a baccalaureate degree

Physiotherapist	2264
-----------------	------

- 4 Nutrition Science Professional
- Note: Nutrition Science Professional is a person who follows a scientific process to assess, plan and implement programmes to enhance the impact of food and nutrition on health, promote good health, prevent and treat disease to optimize the health of individuals, groups, communities and populations as well as on human health with training in food and nutritional science, nutrition, dietetics.
- (i) Dietician 2265  
(including Clinical Dietician, Food Service Dietician) 2265  
(ii) Nutritionist (including Public Health Nutritionist, Sports Nutritionist)
- 5 Ophthalmic Sciences Professional
- Note: Ophthalmic Sciences Professional is a person who studies eye, related ailments and specialises in the management of disorders of eye and visual system, limited in scope and complexity as performed by a medical doctor having Optometrists with a minimum of four years of baccalaureate degree and Ophthalmic Assistants/Vision Technician with a minimum of two years recognised diploma programme.
- (i) Optometrist 2267  
(ii) Ophthalmic Assistant 3256  
(iii) Vision Technician 3256
- 6 Occupational Therapy Professional
- Note: Occupational Therapy Professional is a person who delivers client-centred services concerned with promoting health and well-being through occupation to enable people to participate in the activities of everyday life, which includes professionals such as Occupational Therapists who achieve this outcome by working with people and communities to enhance their ability to engage in the occupations they are expected to do, or by modifying the occupation or the environment to better support their occupational engagement. The Occupational Therapist can practice independently or as a part of a multi-disciplinary team and has a minimum qualification of a baccalaureate degree.
- Occupational Therapist 2269
- 7 Community Care, Behavioural Health Sciences and other Professionals
- Community Care
- Note: Primary and Community Care Professional is a person who provides health education, referral and follow up, case management, and basic preventive healthcare and home visiting services to specific communities at field level and provides support and assistance to individuals and families in navigating the health and social services system and establish a referral network.
- (i) Environment Protection Officer 2133  
(ii) Ecologist 2133  
(iii) Community Health promoters 3253  
(iv) Occupational Health and Safety Officer (Inspector) 3257

<p><b>Behavioural Health Sciences Professional</b>  <b>Note:</b> Behavioural Health Sciences Professional is a person who undertakes scientific study of the emotions, behaviours and biology relating to a person's mental well-being, their ability to function in everyday life and their concept of self. "Behavioural health" is the preferred term to "mental health" and includes professionals such as counsellors, analysts, psychologists, educators and support workers, who provide counselling, therapy and mediation services to individuals, families, groups and communities in response to social and personal difficulties</p>	<p>(i) Psychologist            (Except Clinical Psychologist covered under RCI for PWD)            (ii) Behavioural Analyst            (iii) Integrated Behaviour Health Counsellor            (iv) Health Educator and Counsellors including Disease Counsellors, Diabetes Educators, Lactation Consultants            (v) Social workers including Clinical Social Worker, Psychiatric Social Worker, Medical Social Worker            (vi) Human Immunodeficiency Virus (HIV) Counsellors or Family Planning Counsellors            (vii) Mental Health Support Workers</p>	<p>2634 2635 2635 2635 2635 3259 3259</p>
<p><b>Other Care Professionals</b></p>	<p>(i) Podiatrist            (ii) Palliative Care Professionals            (iii) Movement Therapist (including Art, Dance and Movement Therapist or Recreational Therapist)</p>	<p>2269 3259 2269</p>
<p><b>8 Medical Radiology, Imaging and Therapeutic Technology Professional</b>  <b>Note:</b> Medical Imaging and Therapeutic Equipment Technology Professionals include persons who tests and operate radiographic, ultrasound and other medical imaging equipment to produce images of body structures for the diagnosis and treatment of injury, disease and other impairments or administers radiation treatments and monitor patients' conditions with training in medical technology, radiology sonography, mammography, nuclear medical technology, Magnetic Resource Imaging, Dosimetry or radiotherapy, under the supervision of a radiologist or other medical professional</p>	<p>(i) Medical Physicist            (ii) Nuclear Medicine Technologist            (iii) Radiology and Imaging Technologist [Diagnostic Medical Radiographer, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computed Tomography (CT), Mammographer, Diagnostic Medical Sonographers] (iv) Radiotherapy Technologist            (v) Dosimetrist</p>	<p>2111 3211 3211 3211 3211</p>
<p><b>9 Medical Technologists and Physician Associate Biomedical and Medical Equipment Technology Professional</b></p>	<p>(i) Biomedical Engineer            (ii) Medical Equipment Technologist            Physician Associates</p>	<p>2149 3211 3256</p>
<p><b>Physician Associate or Physician Assistant</b></p>		

Note: Physician Associate or Physician Assistant is a person who performs basic clinical and administrative tasks to support patient care and is trained in a medical model such that he is qualified and competent to perform preventive, diagnostic and therapeutic services with physician supervision.

Cardio-vascular, Neuroscience and Pulmonary Technology Professional  
Note: Cardio-vascular, Neuroscience and Pulmonary Technology Professionals include those persons who have studied and have thorough understanding of respiratory, neurological and circulatory system and also the ability to operate complex equipment related therein and includes professionals such as Perfusionist, Cardiovascular technologist, respiratory technologist and Sleep Lab Technologists

(i) Cardiovascular Technologists 3259  
(ii) Perfusionist 3259  
(iii) Respiratory Technologist 3259  
(iv) Electrocardiogram (ECG) Technologist or Echocardiogram (ECHO) Technologist 3259  
(v) Electroencephalogram (EEG) or Electro-neurodiagnostic (END) or Electromyography (EMG) Technologists or Neuro Lab Technologists or Sleep Lab Technologists

Renal Technology Professional

Note: Renal Technology Professional is a person who deals with dialysis therapy process and technology to ensure an effective dialysis therapy to the patient and includes professionals such as Dialysis Therapy Technologists having baccalaureate degree who operate and maintain an artificial kidney machine, following approved methods.

Dialysis Therapy Technologists or Urology Technologists

10 Health Information Management and Health Informatic Professional

Note: Health and Information Management Professional is a person who develops, implements and assesses the health record processing, storage and retrieval systems in medical facilities and other health care settings to meet the legal, professional, ethical and administrative records-keeping requirements of health services delivery and processes, maintains, compiles and reports patient information for health requirements and standards in a manner consistent with the healthcare industry's numerical coding system.

(i) Health Information Management Professional (Including Medical Records Analyst) 3252  
(ii) Health Information Management Technologist 3252  
(iii) Clinical Coder 3344  
(iv) Medical Secretary and Medical Transcriptionist

RAKESH KUMAR SRIVASTAVA

Addl. Secy.

**SCHEDULE****Form A**

{See Rule 5 (d)}

**STATEMENT OF PROFESSIONAL AND COMMERCIAL ENGAGEMENTS OR INVOLVEMENT ON FIRST APPOINTMENT AND AT THE TIME OF DEMITTING OFFICE**

S.No.	Relation	Name	Professional Position held in Last three Years from the Date of Declarations, if Any	Commercial engagements, involvement held in last three Years from the Date of Declarations, if Any
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent – 1			
4	Dependent – 1			
5*	Dependent – 1			

\* Add more rows, if necessary.

Date:

Signature of the Applicant

**Form B**  
**APPLICATION FORM FOR REGISTRATION IN THE STATE ALLIED AND  
 HEALTHCARE PROFESSIONAL'S REGISTER AND FOR ISSUANCE OF CERTIFICATE  
 OF REGISTRATION**

**A) Personal Details**

1. Name of the Applicant (In Block Letters)
2. Father's/Husband Name :
3. Mother's Name :
4. Date of Birth :
5. Age (as on application date):
6. Gender: Male/Female/Transgender:
7. Social Category : (ST/SC/OBC/UR)
8. MARITAL STATUS:
9. DOMICILE:
10. Current Address :
11. Permanent Address :
12. ADHAAR Number :
13. MOBILE NUMBER:
14. E-MAIL ID :
15. Are you a Govt. Employee (Yes/No) If Yes, Provide the details of the Organisation
16. Practice Year (if any) :
17. Are you a NRI: (Yes/No), If Yes, Provide the details
18. Are you a citizen of country other than India : (Yes/No) If Yes, Provide the details of the country citizenship

**B) Allied and Healthcare Educational Institution & Course Details**

19. University/College Name
20. Institute Address
21. State and District
22. Institution Type (Govt/Private)
23. Course Type (Diploma/Degree/PG/PhD)
24. Course Sector
25. Course Name
26. Admission/Enrolment reference No. if any
27. Year of Admission :
28. Year of Passing :
29. Is educational Institute is closed (Yes/No) :

**30. Details of Educational Qualifications prior to/other than Allied and Healthcare qualifications :**

Educational Qualification	Name of School/College	Board/University	Year of Passing	Roll No.	Details of Marks Obtained (Out of Total Marks or GRADE)
Matriculation or Equivalent					
Senior Secondary or equivalent					
Other (if any)					

**31. Details of Allied and Healthcare qualification for which registration is applied**

Name of Qualification (s)	Name of Institute/College/University	Duration of the Course (with Internship)	Date of Admission and passing	Enrolment No. and Roll No.	Name & Address of Hospital/Institute of Internship	Details of Marks Obtained (Out of Total Marks or GRADE)

**32. Any other remarks/information that applicant wants to submit.****33. Details of Payment of Fee towards Registration****34. List of Upload/Attached Documents**

- i. 10<sup>th</sup> Marksheet
- ii. 12<sup>th</sup> Marksheet
- iii. Allied and Healthcare course final year Marksheet
- iv. NOC of the Educational Institute
- v. ID Proof- ADHAAR
- vi. Domicile Certificate
- vii. Caste Certificate (if applicable)
- viii. Recent Passport Size Photo (with Signature and Left Thumb Impression)
- ix. Any other relevant document

Date of Application:

Signature of the Applicant

Note :

1. The application form should be properly and neatly filled in.
2. Following documents to be enclosed with application.
  - a) Degree or Diploma in original or Provisional Certificate from the University/or Dean of the College that the applicant is eligible for the award of the Degree along with attested maybe forwarded along with the Registered Certificate.
  - b) Duly attested copy of certificate pf thereof copy of certificate of practical training. (Compulsory rotating internship) issued by Dean of the College.
  - c) Provisional registration Certificate in original.
  - d) Two recent passport size photographs front view.
  - e) Signature on two self adhesive slips provided with application.
  - f) The total registration fee is Rs. 2000/- to be paid along with the application as fee for registration.

\*\*\*

//For Official Use//

**Office Receipt & Applicant Receipt**

1. Application Number
2. Date of Application
3. Mode of Application
4. Applicant Name and Father's/Husband Name
5. Course Type and Name
6. Payment Status -
7. Mode of Payment
8. Documents checklist - Ok/Incomplete
9. Detail of Incomplete Documents
10. Tentative target Date of Issuance
11. Any Remark
12. Name and Designation of the Examiner

Date:

Seal and Sign

**Form C**  
**CERTIFICATE OF REGISTRATION**  
{See Rule 7}

CERTIFICATE UNDER SECTION 33 (3) OF THE STATE COUNCIL FOR ALLIED AND  
HEALTHCARE PROFESSIONS ACT, 2021 REGISTRATION CERTIFICATE  
CERTIFICATE NO. MPSAHC/SCH- COURSE TYPE CODE /COURSE CODE / REF. NO.  
/YEAR

1. Name of the Allied and HealthCare Professional :
2. Father/Husband Name :
3. Date of Birth :
4. Gender :
5. Domicile :
6. Full Residential Address :
7. ADHAAR
8. Qualification under Allied and HealthCare Courses :
  - i. Allied and HealthCare Sector
  - ii. Passed Course Name
  - iii. Enrolment No. issued by the education institution
  - iv. Name of the Institution
  - v. Course tenure
  - vi. Year of Passing
9. Date of Issuance
10. Validity

Photo with  
Sign and  
Thumb  
Impression

It is hereby certified that it is a true copy of the above specified Details of the Professional in the MP Allied and HealthCare Professional's Register issued UNDER SECTION 33 (3) OF THE STATE COUNCIL FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONS ACT, 2021 by the MP Allied and HealthCare Council with the Authority subject to the below instructions.

1. The Registration of the Registered Allied and HealthCare Professional shall be valid for the stipulated period. The Registration shall be deemed null or invalid after the validation period.
2. The Allied and HealthCare Professional would have to ensure his/her timely renewal of the Registration after the validation period over with the immediate effect.
3. Please inform the Council if the Original copy of the Registration got misplaced, theft, destroyed along with an FIR copy of the Police Station.
4. The Allied and HealthCare Professional can apply for the Duplicate Registration Certificate subjected to paying the specified fees for application.
5. The Registration is neither transferrable nor claimed by any other successor of the registered Professional.
6. Registered Professional should send to the Secretary's immediate notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Allied and HealthCare Professional.
7. No charge is made for alteration of address.
8. In case of issuance of Duplicate certificate a fee of Rs. 2000/- and for renewal certificate Rs. 3000/- is chargeable.

(SEAL)  
Secretary of MPSAHC

Bhopal  
Date

\*\*\*

**REJECTION OF APPLICATION FOR GRANT OF REGISTRATION**

Application Number and Date :  
Date of Inspection :  
Reference Number and Date :

In exercise of the powers conferred under the National Commission for Allied and Healthcare Professionals Act, 2021, the Council hereby reject the application for grant of recognition/renewal of recognition submitted by:

(1)	Name and address of the Allied and Healthcare Institution	
(2)	Reasons for rejection of application	

Signature & Name of the Secretary  
(Office seal)

\*\*\*

**CANCELLATION OF APPLICATION FOR GRANT OF REGISTRATION ORDER**

- (a) Application Reference Number and Date :  
(b) Registered notice number & date :  
(c) Date of hearing/Inspection  
(d) Whether Applicant has submitted answer in writing- YES/NO  
(e) If so, what are the contents and documentary evidence produced.  
(f) Are they satisfactory (Yes/No)  
(g) Point(s) for consideration in the case  
(h) Findings

In exercise of the powers conferred under Section 36 of the National Commission for Allied and Healthcare Professionals Act, 2021, and also after perusal of the documentary evidence produced, the Council hereby Cancel the certificate of Registration.

Date & Place

Signature & Name of the Secretary  
(Office seal)

MP Allied and Healthcare Professional Council

\*\*\*

**APPLICATION FOR RESTORATION/RE-ENTRY OF THE NAME IN THE REGISTER To**

The Secretary

MPAHP Council

Subject: Restoration/Re-entry of my Name in the Register of the Council Request –

Regarding

Ref: Council order number and date.

\*\*\*

I, the undersigned, do here by solemnly and sincerely state and declare that my name was duly registered in respect of the following qualification:

Qualification	Registration No. & Date	Date of Removal
Additional Qualification	Registration no. & Date	Date of Removal

My name was removed from the register(s) for

- (a) Default in payment of renewal fees.  
(b) Complaint against me for in famous character or conviction

Since, I have paid the renewal fees/the charge has been dropped or closed,  
I request that my name may please be restored/re-entered in the register.  
I also declare that my relevant documents are enclosed herewith for your record.

Signature with Name & Address of the applicant

Signature of Witnesses (with name & address)

1.  
2.

\*\*\*

**Form D**  
**APPLICATION FORM**

**REGISTRATION OF ADDITIONAL QUALIFICATION/S UNDER RULE OF THE STATE  
COUNCIL FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONAL ACT, 2021**

1. Name of the Professional:
2. Primary Qualification Registration Number :
3. Primary registered qualification with year of obtaining :
4. Address and Phone No. as given in the Register :
5. State Council with which registered earlier (if Any):
6. Present Address in Block Capitals with Pin Code & Phone No. :
7. Permanent Address in Block Capitals with Pin Code & Phone No. :
8. Details of Additional Qualification applied for :

Name of Qualification (s)	Name of Institute/College	University	Duration of the Course (with Internship)	Name & Address of Hospital/Institute of Internship	Date of Admission and passing

**Date:** .....

**Signature of the Candidate**

**DECLARATION**

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct.

Date:

Signature of the Candidate  
(Name \_\_\_\_\_)

**Instruction to Candidates for filling the application for Registration of additional qualification**

1. The application form should be properly and neatly filled in.
2. A non-refundable crossed Bank Draft @Rs. 2000/- (Rupees Two Thousand only) for each qualification, in favour of State Council for Allied and Healthcare Professions Fund, Bhopal, payable at Bhopal, must be enclosed along with the application as fee or can be paid online.
3. The candidate is required to send attested copies by Magistrate / Gazetted officer, of the degrees/diplomas or provisional certificate of Postgraduate qualification issued by the Registrar of the University concerned.
4. The application is to be forwarded direct, to this office and be addressed to the Secretary, MP State Council for Allied and Healthcare Professions, Bhopal.

The certificate will be issued only to those who possess a recognised basic allied and healthcare qualification and subsequently have obtained recognised postgraduate qualification (s) as per provisions of the Act.

\*\*\*

**Form E****ANNUAL REPORT of STATE COUNCIL FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONS**

YEAR.....

1. Introduction
2. Constitution of the Council
3. Council
4. Objectives of the Council
5. Functions of the Council
6. Advisory Council (If Any)
7. Recommendations of the Advisory Council
8. Professional Councils
9. Activities of Various Professional Councils
10. Standardization of curriculum and scope of practice with respect to each profession under the various professional categories
11. Task Shifting
12. Registration of Allied and Healthcare Professionals
13. Appeals
14. Accreditation and Rating of Institutions
15. Growth of Allied and Healthcare Education System (including State Distribution)
  - (A) Universities/Institutions/Colleges
  - (B) Faculty Strength
  - (C) Student's Enrollment
  - (D) Graduated Students
  - (E) Employment statistics (Addition of workforce in the current year, percentage of students without employment etc.)
  - (F) Research Development in Universities/Institutions
  - (G) Condensed Statistics on Growth of Allied and Healthcare Education
16. Guidelines for Determination of Fees for Seats in Private Institutions and Deemed Universities
17. Common Entrance Examination
18. Exit-cum-Licensing Examination
19. National Teachers Eligibility Test
20. Assessment of Healthcare including Human Resources for Health and Healthcare Infrastructure and Road Map for its Development
21. Website
22. Legal Matters
23. Vigilance
24. Right to Information
25. Accounts and Establishment, including annual audit report
26. Publications
27. Miscellaneous

**Date:****(Secretary)****MP Allied and Healthcare Council****(Chairperson)****MP Allied and Healthcare Council**